रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29092026-276607
CG-DL-E-29092026-276607

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 267] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 23, 2026/आश्विन 1, 1948
No. 267] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 23, 2026/ASVINA 1, 1948

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

प्रारंभिक जांच परिणाम

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 2026

मामला सं. एडी(ओआई)-13/2026

सेतु मामला आईडी-एडी/ओआई/014/2026

विषय: चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "1-(3,5,5,6,8,8-हेक्सामिथाइल- 6,7 -डाइहाइड्रोनेफ्थालीन-2-वाईएल) एथेनोन" के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच।

फा. सं. 6/14/2026-डीजीटीआर.—समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा गया है) और समय समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क(पाटित वस्तुओं की पहचान, मूल्यांकन और संग्रहण और उन पर पाटनरोधी शुल्क का संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (जिसे यहां आगे 'पाटनरोधी नियमावली' अथवा 'नियमावली' कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए दिनांक 19 मार्च, 2026 की जांच शुरुआत अधिसूचना संख्या 6/14/2026-डीजीटीआर के माध्यम से निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे "प्राधिकारी" कहा गया है) द्वारा संबद्ध जांच की शुरुआत करने पर प्राधिकारी अनंतिम रूप से वर्तमान प्राथमिक जांच परिणाम दर्ज करते हैं।

क. मामले की पृष्ठभूमि

1. जबकि, मेसर्स केवा फ्रेगरेंस प्राइवेट लिमिटेड (जिसे इसके बाद 'आवेदक' या 'घरेलू उद्योग' कहा गया है) ने चीन जन.गण. (जिसे यहां आगे “संबद्ध देश” कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "1-(3,5,5,6,8,8 -हेक्सामिथाइल-6,7 -डाइहाइड्रोनेफ्थालीन- 2-वाईएल) एथेनोन" (जिसे यहां आगे संबद्ध सामान' या 'विचाराधीन उत्पाद' या 'पीयूसी' कहा गया है) के आयात के संबंध में एक पाटनरोधी जांच शुरू करने और ऐसे आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए अधिनियम और पाटनरोधी नियमावली के अनुसार प्राधिकारी के समक्ष एक आवेदन-पत्र दायर किया।

2. और जबकि, आवेदक ने आरोप लगाया कि संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हो रही है, और संबद्ध सामानों के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया।

3. और जबकि, आवेदक द्वारा दायर विधिवत प्रमाणित आवेदन-पत्र के मद्देनजर संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद का पाटन, घरेलू उद्योग को क्षति और ऐसे पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संपर्क सिद्ध करते हुए प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर प्राधिकारी ने तथाकथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव निर्धारित करने तथा पाटनरोधी शुल्क की राशि, जो यदि लगाई जाए और घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, की सिफारिश करने के लिए पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार वर्तमान पाटनरोधी जांच शुरु करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित जांच शुरुआत अधिसूचना सं. 6/14/2026-डीजीटीआर दिनांक 19 मार्च, 2026 द्वारा एक सार्वजनिक सूचना जारी की।

ख. <u>प्रक्रिया</u>

4. वर्तमान जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया अपनाई गई है:

ख.1 जांच की शुरुआत

i. नियमावली के नियम 5(5) के अनुसार, जांच शुरू करने से पहले, प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध देश की सरकार को उनके दूतावास के माध्यम से, वर्तमान पाटनरोधी आवेदन-पत्र की प्राप्ति के संबंध में अधिसूचित किया।

ii. आवेदन-पत्र की जांच करने पर, प्राधिकारी ने संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के पाटन, घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति और पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संपर्क का प्रथम दृष्टया साक्ष्य पाया। अत:, नियमावली के नियम 5 के अनुसार, प्राधिकारी ने संबद्ध देश से संबद्ध आयातों के संबंध में भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाधित जांच शुरुआत अधिसूचना संख्या संख्या 6/14/2026-डीजीटीआर दिनांक 19 मार्च, 2026 ('जांच शुरुआत अधिसूचना') द्वारा वर्तमान पाटनरोधी जांच शुरु की।

iii. नियमावली के नियम 6(2) के अनुसार, प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध देश के दूतावास, संबद्ध देश में विचाराधीन उत्पाद के ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, भारत में संबद्ध देश के ज्ञात आयातकों और आवेदन-पत्र में उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, अन्य हितबद्ध पक्षकारों के साथ जांच शुरुआत अधिसूचना की प्रति साझा करके जांच की शुरुआत के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों को सूचित किया।

ख.2 आवेदन-पत्र के अगोपनीय रूपांतर का परिचालन

i. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार, ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों और संबद्ध देश की सरकार को भारत में उनके दूतावास के माध्यम से आवेदन-पत्र के अगोपनीय रूपांतर की प्रति उपलब्ध कराई। आवेदन-पत्र के अगोपनीय रूपांतर की प्रति, अनुरोध किए जाने पर, अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराई गई थी।

ख.3. संबद्ध देश के निर्यातकों और भारत के आयातकों/प्रयोक्ताओं की प्रतिभागिता

i. नियमावली के नियम 6 (4) के अनुसार, प्राधिकारी ने जांच के उद्देश्य से सामान्य मूल्य और निवल निर्यात कीमत के बारे में सूचना मंगाने के लिए निम्नलिखित उत्पादकों और निर्यातकों को निर्यातक प्रश्नावली जारी की:

क्र.सं.	संबद्ध देश में उत्पादकों/निर्यातकों के नाम
1	फुजियान नानपिंग ग्रीनपाइन केमिकल कंपनी
2	जियाक्सिंग सनलोंग इंडस्ट्रियल एंड ट्रेडिंग कं. लिमिटेड
3	शेडोंग लकीसिया केमिकल कंपनी लिमिटेड
4	शंघाई लकीसिया केमिकल कंपनी लिमिटेड

5	तियानमेन देयुआन केमिकल टेक कंपनी लिमिटेड
6	जिंगडाओ बो-सिन इंटरनेशनल कं. लिमिटेड

ii. किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर देकर वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया है। इसके अतिरिक्त, संबद्ध देश के किसी भी उत्पादक/निर्यातक द्वारा या उसकी ओर से कोई अनुरोध दायर नहीं किए गए हैं।

iii. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध सामानों के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को नियमावली के नियम 6 (4) के अनुसार आवश्यक सूचना मंगाने के लिए आयातक/प्रयोक्ता प्रश्नावली भेजी:

क्र.सं.	आयातकों/प्रयोक्ताओं के नाम
1	अरिहंत ट्रेडिंग कंपनी
2	अर्पण एरोमैटिक्स
3	आशापुरा अरोमास प्राइवेट लिमिटेड
4	फ्रेगरेंस वर्ल्ड
5	इंटरनेशनल फ्लेवर्स एंड फ्रेगरेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
6	कर्नाटक अरोमास
7	के. रसिकलाल एक्जिम प्रा. लिमिटेड
8	माने इंडिया प्रा. लिमिटेड
9	मैसूर डीप परफ्यूमरी हाउस
10	ओरिएंटल एरोमैटिक्स लिमिटेड
11	पी. पी. शेठ अरोमास प्रा. लिमिटेड
12	रॉजी फाइन फ्रेगरेंस प्राइवेट लिमिटेड
13	सिमराइस प्राइवेट लिमिटेड
14	यूनाइटेड मल्टीकेम एलएलपी

iv. किसी भी आयातक/प्रयोक्ता ने प्रश्नावली का उत्तर दायर करके या अनुरोध दायर करके वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया है।

v. प्राधिकारी ने व्यापक अर्थव्यवस्था पर शुल्कों के प्रभाव और सार्वजनिक हित का आकलन करने के लिए एक आर्थिक हित प्रश्नावली (ईआईक्यू) जारी की। ईआईक्यू की एक प्रति रसायन और उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय और संबद्ध सामानों के ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को जारी की गई थी। इस संबंध में घरेलू उद्योग को छोड़कर किसी से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

ख.4 जांच की अवधि और क्षति जांच की अवधि

i. जैसा कि जांच शुरुआत अधिसूचना में उल्लेख किया गया है, जांच की अवधि ('पीओआई') 1 अक्टूबर 2024 – 30 सितंबर 2025 (12 महीने की अवधि) मानी गई थी। क्षति की जांच की अवधि 1 अप्रैल 2022 - 31 मार्च 2023, 1 अप्रैल 2023 – 31 मार्च 2024, 1 अप्रैल 2024 – 31 मार्च 2025 और जांच की अवधि को शामिल करने के लिए निर्धारित की गई थी।

ii. डीजीसीआईएंडएस से क्षति की अवधि और जांच की अवधि के लिए संबद्ध सामानों के लेनदेन-वार आयात आंकड़े प्राप्त करने के लिए अनुरोध किया गया था। आंकड़े प्राप्त हो गए थे और आवश्यक विश्लेषण के लिए उसी पर भरोसा किया गया है।

ख.5 आगे की प्रक्रिया

i. प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र और 23 मार्च, 2026 की जांच शुरुआत अधिसूचना और जांच शुरुआत पत्र के 15 दिनों के भीतर पीसीएन पद्धति पर टिप्पणियां मांगीं। केवल घरेलू उद्योग ने इस संबंध में टिप्पणियां दायर कीं और किसी भी उत्पादक/निर्यातक, आयातक/प्रयोक्ता या अन्य हितबद्ध पक्षकार से विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र या पीसीएन पद्धति पर कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई।

ii. आवेदक का आधार और भारत में समान वस्तु के एकमात्र उत्पादक होने के उसके दावे को सत्यापित करने की दृष्टि से, प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध सामानों के अन्य संभावित उत्पादकों को उनके उत्पादन, क्षमता, घरेलू बिक्री और आयात, यदि कोई हो, के बारे में सूचना मंगाते हुए पत्र भेजे। संबद्ध सामानों के निर्माण की पुष्टि करते हुए किसी भी ऐसे उत्पादक से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।

iii. निर्धारित समय सीमा के भीतर खुद को पंजीकृत करने वाले सभी हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची डीजीटीआर वेबसाइट/सेतु पोर्टल पर अपलोड की गई थी। किसी भी आयातक/निर्यातक/और प्रयोक्ता ने सेतु प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण नहीं किया।

iv. नियमावली के नियम 7 के अनुसार, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई सूचना की गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में प्राधिकारी द्वारा जांच की गई थी। संतुष्ट होने पर, जहां भी आवश्यक हुआ, प्राधिकारी ने गोपनीयता के दावों को अनंतिम रूप से स्वीकार किया,

और ऐसी सूचना को गोपनीय माना गया है और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया गया है।

v. घरेलू उद्योग द्वारा दायर किए गए अनुरोधों का अगोपनीय रूपांतर सभी हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराया गया था।

vi. क्षतिरहित कीमत घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर और सामान्यत: स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों और नियमावली के अनुबंध-III को ध्यान में रखते हुए, भारत में संबद्ध सामानों की इष्टम उत्पादन लागत और निर्माण तथा बिक्री लागत के अनुसार निर्धारित की गई। प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद के लिए क्षतिरहित कीमत (एनआईपी) अनंतिम रूप से परिचालित की ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कम शुल्क घरेलू उद्योग को क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।

vii. प्राधिकारी ने कार्यवाही के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुद्दों, प्रदान की गई सूचना और किए गए अनुरोधों की, जहां तक वे साक्ष्य द्वारा समर्थित थे और वर्तमान जांच के लिए संगत माने गए थे, की अनंतिम रूप से जांच की।

viii. '***' किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना और नियमावली के तहत प्राधिकारी द्वारा मानी गई सूचना दर्शाते हैं।

ix. जांच की अवधि के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनिमय दर 1 अमेरिकी डॉलर = 86.76 रु. है, जो जांच की अवधि के दौरान लागू आयातित सामान के मूल्य के रूपांतरण के लिए सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 14 के तहत केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा अधिसूचित विनिमय दरों का औसत है। इसी दर को इस पूरे प्रारंभिक जांच परिणाम में लागू किया गया है। (स्रोत: https://foservices.icegate.gov.in/#/services/viewExchangeRate)

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

ग.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

5. विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के संबंध में किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा कोई कोई अनुरोध नहीं किया गया है।

ग.2 घरेलू उद्योग के विचार

6. विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. विचाराधीन उत्पाद "1-(3,5,5,6,8,8 -हेक्सामिथाइल- 6,7 -डाइहाइड्रोनेथ्रालेन- 2-वाईएल) एथेनोने" है, जिसका सीएएस नंबर 21145-77-7 और 1506-02-1 है, और इसे विभिन्न ब्रांड

नामों के तहत बेचा जाता है, जिनमें शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, टोनैलाइड, टोनैलिड, मस्कोफ़िक्स, गैनोलिड, फिक्सोलाइड, एएचटीएन, मस्क एएचएमटी, अल्ट्रामस्क, लैनोलिड, मस्क टेट्रालाइन, डर्नालाइड, मिथाइल नोनील एसीटोफेनोन, केवोलिड, टेन्टरॉम और टेट्रालाइड।

ख. उत्पाद का रासायनिक सूत्र $C_{18}H_{26}O$ है और इसका आणविक भार 258.40 जी/मोल. है। यह एक सिंथेटिक पॉलीसाइक्लिक मस्क यौगिक है, जिसे रासायनिक रूप से टेट्रालिन कीटोन के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

ग. उत्पाद का उपयोग सुगंध में बेस नोट फिक्सेटिव और वॉल्यूम एन्हांसर के रूप में किया जाता है। इसका व्यापक रूप से मस्कुलिन फ्रग्रासेस (विशेषकर फौगेर), पाउडर-मस्क बेस मिश्रणों, अन्य पॉलीसाइक्लिक मस्क (पीसीएम) या नाइट्रोमसक्स के साथ लेयरिंग में, और कपड़े को नरम करने वाले, दुर्गन्धनाशक और साबुन जैसे कार्यात्मक इत्र में उपयोग किया जाता है।

घ. उत्पाद का उत्पादन और बिक्री वजन के आधार पर किया जाता है और इसे किलोग्राम (केजी)/मीट्रिक टन (एमटी) के रूप में व्यक्त किया जाता है।

ड. चूँकि उत्पाद को विभिन्न ब्रांड नामों से वर्णित किया जा सकता है, इसलिए ब्रांड नाम तक सीमित विवरण से रीब्रांडिंग के द्वारा शुल्क की चोरी की संभावना हो सकती है। तदनुसार, घरेलू उद्योग ने अपने पत्र दिनांक 17 मार्च, 2026 के माध्यम से अनुरोध किया कि विचाराधीन उत्पाद को उसके रासायनिक नाम, सीएएस नंबर, सूत्र और आणविक भार के साथ-साथ उदाहरण ब्रांड नामों द्वारा वर्णित किया जाए, ताकि विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र स्पष्ट हो और इच्छित उपाय प्रभावी हो। आवेदक ने स्पष्ट किया कि विवरण का उक्त स्पष्टीकरण आवेदन-पत्र में प्रस्तुत किसी भी आंकड़ों/सूचना को प्रभावित नहीं करता है।

च. संबद्ध सामानों को सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची के अध्याय 29 - 'कार्बनिक रसायन' के तहत प्रशुल्क मद 2914 3990 के तहत वर्गीकृत किया गया है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है। संबद्ध सामानों पर लागू मूल सीमा शुल्क 7.5% है।

छ वर्तमान मामले में किसी पीसीएन पद्धति को अपनाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उत्पाद का उत्पादन या व्यापार अलग-अलग ग्रेड, रूपों या विनिर्देशनों में नहीं किया जाता है, जिनकी लागत और मूल्य में काफी भिन्नता होती है।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

7. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद "1-(3,5,5,6,8,8 -हेक्सामिथाइल- 6,7 -डाइहाइड्रोनेथ्रालेन- 2-वाईएल) एथेनोने" है, जिसका सीएएस नंबर 21145-77-7 और 1506-02-1 है, और आमतौर पर विभिन्न ब्रांड नामों जैसे टोनैलाइड, टोनैलिड, मस्कोफ़िक्स, गैनोलिड, फिक्सोलाइड, एएचटीएन, मस्क एएचएमटी, अल्ट्रामस्क, लैनोलिड, मस्क टेट्रालीन, डेर्नालाइड, मिथाइल नोनील एसीटोफेनोन, केवोलिड, टेंटारोम और टेट्रालाइड के रूप में बेचा जाता है। यह एक सिंथेटिक पॉलीसाइक्लिक मस्क यौगिक (एक टेट्रालीन कीटोन) है जिसका रासायनिक सूत्र $C_{18}H_{26}O$ है और आणविक भार 258.40 जी/मोल है, जिसका प्रयोग सुगंध और कार्यात्मक इत्र में बेस नोट फिक्सेटिव और वॉल्यूम एन्हांसर के रूप में किया जाता है।

8. विचाराधीन उत्पाद को सीमा प्रशुल्क अधिनियम की अनुसूची I के अध्याय 29 के तहत प्रशुल्क मद 2914 3990 के अंतर्गत 'कार्बनिक रसायन' शीर्ष के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

9. यह नोट किया जाता है कि इसके अनुप्रयोग में घरेलू उद्योग द्वारा कोई पीसीएन पद्धति प्रस्तावित नहीं की गई थी। दिनांक 19 मार्च, 2026 की जांच शुरुआत अधिसूचना और दिनांक 23 मार्च, 2026 के सूचना पत्र के द्वारा प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र और पीसीएन पद्धति पर टिप्पणियां मंगाई थीं। केवल घरेलू उद्योग ने टिप्पणियां दर्ज कीं, जिसमें यह दोहराया गया कि चूंकि उत्पाद अलग-अलग ग्रेड/रूपों में उत्पादित या बेचे नहीं जाते हैं, जिनकी लागत और कीमतें काफी भिन्न हैं और कोई पीसीएन पद्धति आवश्यक नहीं है। किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार ने पीसीएन पद्धति का प्रस्ताव करते हुए या विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र का विरोध करते हुए कोई टिप्पणी दायर नहीं की। इसके मद्देनज़र, प्राधिकारी अनंतिम रूप से मानते हैं कि वर्तमान जांच के इस चरण में किसी पीसीएन पद्धति को अपनाने की आवश्यकता नहीं है।

10. उपरोक्त को देखते हुए, प्राधिकारी अनंतिम रूप से मानते हैं कि वर्तमान जांच के लिए विचाराधीन उत्पाद वही है जिसे 19 मार्च, 2026 की जांच शुरुआत अधिसूचना में परिभाषित किया गया था और वह इस प्रकार है:

"विचाराधीन उत्पाद 1-(3,5,5,6,8,8 -हेक्सामिथाइल- 6,7 -डाइहाइड्रोनेथ्रालेन- 2-वाईएल) एथेनोन है, जिसका सीएएस नंबर 21145-77-7 और 1506-02-1 है, और इसे टोनालाइड,

टोनालिड, मस्कोफिक्स, गैनोलिड, फिक्सोलाइड, एएचटीएन, मस्क एएचएमटी, अल्ट्रामस्क, लैनोलिड, मस्क टेट्रालीन, डेर्नालाइड, मिथाइल नोनील एसीटोफेनोन, केवोलिड, टेन्टरॉम, टेट्रालाइड सहित विभिन्न ब्रांड नामों के तहत बेचा जाता है। उत्पाद का रासायनिक सूत्र $C_{18}H_{26}O$ *है। उत्पाद का आणविक भार 258.40 जी/मोल है। विचाराधीन उत्पाद एक सिंथेटिक पॉलीसाइक्लिक मस्क यौगिक है, जिसे रासायनिक रूप से टेट्रालीन कीटोन के रूप में वर्गीकृत किया गया है"*

11. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध सामानों और संबद्ध देश से आयातित सामानों में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध सामान और संबद्ध देश से आयातित सामान तकनीकी विनिर्देशनों, भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, प्रकार्यों और प्रयोगों, कीमत निर्धारण और वितरण और विपणन के संदर्भ में तुलनीय हैं। दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किए जाते हैं। उपभोक्ताओं ने दोनों का परस्पर परिवर्तनीय रूप से प्रयोग किया है और कर रहे हैं। अत:, प्राधिकारी अनंतिम रूप से मानते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध सामान पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(घ) के अभिप्राय से आयातित संबद्ध सामानों की 'समान वस्तु' हैं।

घ. घरेलू उद्योग का क्षेत्र और आधार

घ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

12. घरेलू उद्योग के क्षेत्र और आधार के संबंध में किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा कोई अनुरोध नहीं किया गया है।

घ.2 घरेलू उद्योग के विचार

13. घरेलू उद्योग के क्षेत्र और आधार के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

    क. मेसर्स केवा फ्रेगरेंस प्राइवेट लिमिटेड भारत में संबद्ध सामानों का एकमात्र उत्पादक है और उसका समान वस्तु के कुल भारतीय उत्पादन में 100% है।

    ख. आवेदक जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के किसी निर्यातक या भारत में संबद्ध सामानों के किसी आयातक से संबद्ध नहीं है।

    ग. आवेदक, मेसर्स एसएच केलकर एंड कंपनी लिमिटेड की मूल कंपनी ने 2018 में संबद्ध देश में संबद्ध सामानों के एक निर्माता, मेसर्स अनहुई रुइबांग अरोमा कंपनी लिमिटेड का अधिग्रहण किया था। तथापि, उक्त कंपनी ने 2022 में विनिर्माण और बिक्री प्रचालन बंद कर दिया, और

तब से संबद्ध सामान उसके संयंत्र में निर्मित नहीं किए गए हैं। तदनुसार, जांच की अवधि के दौरान, आवेदक संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के किसी भी निर्यातक से संबद्ध नहीं था।

घ. आवेदक ने जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देश से संबद्ध सामानों का आयात नहीं किया। जांच की अवधि से पूर्व उसने गैर-संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों की छोटी मात्रा का आयात किया, जो या तो स्वयं उत्पादित सामग्री के पुन: आयात थे या संबंधित संयंत्र में प्रचालन बंद होने पर मालसूची की निकासी के लिए संबद्ध पक्षकारों से आयात थे। आवेदक ने भारत में असंबद्ध व्यापारियों से संबद्ध सामानों की एक छोटी मात्रा भी खरीदी, जिसमें से एक छोटी मात्रा को जांच की अवधि के दौरान इसकी मूल कंपनी को फिर से बेचा गया था।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

14. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) में " घरेलू उद्योग" निम्नलिखित रूप में परिभाषित है:

"(ख) "घरेलू उद्योग'' का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में ''घरेलू उद्योग'' का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।"

15. प्राधिकारी अनंतिम रूप से नोट करते हैं कि आवेदन-पत्र मेसर्स केवा फ्रेगरेंसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है, जिसने भारत में समान वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का 100% हिस्सा होने के कारण, संबद्ध सामानों का एकमात्र उत्पादक होने का दावा किया है।

16. आवेदक ने अनुरोध किया है कि वह जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के निर्यातक या संबद्ध सामानों के आयातक से संबद्ध नहीं था। यह नोट किया जाता है कि आवेदक की मूल कंपनी, एसएच केलकर एंड कंपनी लिमिटेड ने संबद्ध देश में संबद्ध सामानों के एक निर्माता, अर्थात् अनहुई रुइबांग अरोमा कंपनी लिमिटेड का अधिग्रहण किया। तथापि, कंपनी ने इसके तुरंत बाद और जांच की अवधि से पहले विनिर्माण और बिक्री प्रचालन बंद कर दिया है। तब से, संबद्ध पक्षकार के संयंत्र में संबद्ध सामानों का निर्माण नहीं किया गया है। इस प्रकार, जांच की अवधि के दौरान, आवेदक संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के किसी निर्यातक से संबद्ध नहीं था।

17. आवेदक ने दावा किया है कि उसने जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देश से संबद्ध सामानों का आयात नहीं किया है। आवेदक ने अनुरोध किया है कि उसने जांच की अवधि से पहले संबद्ध देश के साथ-साथ गैर-संबद्ध देश में अपने संबद्ध पक्षकार से स्टॉक निकासी के सीमित उद्देश्य के लिए संबद्ध सामानों का

आयात किया था क्योंकि संयंत्र बंद हो गया था। इसके अलावा, आवेदक ने जांच की अवधि से पहले एक गैर-संबद्ध देश से कुछ अस्वीकृत सामग्री को फिर से आयात किया।

18. इसके अतिरिक्त, आवेदक ने यह भी स्पष्ट किया है कि उसने जांच की अवधि के दौरान भारत में असंबंधित व्यापारियों से *** मीट्रिक टन सामग्री खरीदी थी। खरीदे गए सामान की आवश्यकता उसकी मूल कंपनी को आपूर्ति के लिए थी जो अपने सुगंध उत्पादन संयंत्र के लिए विषय वस्तुओं का भी उपयोग करती है। खरीदी गई कुल सामग्री में से, *** एमटी को जांच की अवधि से पहले मूल कंपनी को हस्तांतरित कर दिया गया था, जबकि *** एमटी को जांच की अवधि के दौरान हस्तांतरित कर दिया गया था। शेष *** एमटी को जांच की अवधि से पहले घरेलू बाजार में पुन:बिक्री किया गया था।

19. यह नोट किया जाता है कि जांच की अवधि के दौरान, आवेदक ने खरीदे गए उत्पाद के *** एमटी को अपनी मूल कंपनी को फिर से बेच दिया है। इस तरह की पुन:बिक्री मात्रा बहुत कम मात्रा में है, और देश में कुल मांग के संबंध में केवल 0-5% और देश में कुल उत्पादन के संबंध में 0-5% थी।

विवरण	पीओआई
खरीद की मात्रा (एमटी)	***
भारत में मांग	***
भारत में उत्पादन	***
संबद्ध आयात	233
मांग के संबंध में आयात	0-5%
उत्पादन के संबंध में आयात	0-5%

20. उपरोक्त को देखते हुए, प्राधिकारी अनंतिम रूप से मानते हैं कि आवेदक का उत्पादन कुल भारतीय उत्पादन का 100% है और समान वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक प्रमुख अनुपात है। तदनुसार, आवेदक पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अभिप्राय से 'घरेलू उद्योग' है, और आवेदन-पत्र पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार आधार की अपेक्षा को पूरा करता है।

ङ. गोपनीयता

ङ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

21. गोपनीयता के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा कोई अनुरोध नहीं किया गया है।

ङ.2 घरेलू उद्योग के विचार

22. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि उसने अपने आवेदन-पत्र और अन्य अनुरोधों का एक सार्थक अगोपनीय रूपांतर प्रस्तुत किया है, जिसमें गोपनीय सूचना को पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 और प्राधिकारी के लागू व्यापार सूचना के संदर्भ में अनुक्रमित या संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है, और गोपनीय होने का दावा की गई सूचना प्रकृति में व्यावसायिक-संवेदनशील है, सार्वजनिक पटल पर उपलब्ध नहीं है, और इसका प्रकटन आवेदक के हितों पर गंभीर पूर्वाग्रह होगा।

ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

23. सूचना की गोपनीयता के संबंध में नियमावली के नियम 7 में निम्नलिखित प्रावधान हैं:

> *"(1) नियम 6 के उप नियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।*
>
> *(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।*
>
> *(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।"*

24. गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई सूचना की जांच की गई। प्राधिकारी अनंतिम रूप से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता के दावे, प्रथम दृष्टया, व्यवसाय-संवेदनशील सूचना के संबंध में हैं, जिनके प्रकटन से इसे प्रदान करने वाले पक्षकार के प्रति गंभीर पूर्वाग्रह होने की संभावना है, या प्रकृति से गोपनीय है। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने, जहां आवश्यक था, गोपनीयता के दावों को अनंतिम रूप से स्वीकार किया है, और वह सूचना गोपनीय रखी गई है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं की गई है।

च. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन

च.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

25. किसी भी अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा कोई अनुरोध नहीं किया गया है, और संबद्ध देश के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के निर्धारण के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार का उत्तर नहीं दिया है या दावा नहीं किया है।

च.2 घरेलू उद्योग के विचार

26. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. संबद्ध देश को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में माना जाना चाहिए और संबद्ध देश के उत्पादकों/निर्यातकों को यह दर्शाने करने के लिए कहा जाना चाहिए कि विचारधीन उत्पाद के निर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में समान उत्पाद के निर्माण के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति प्रबल है।

ख. जब तक कि संबद्ध देश के उत्पादक ऐसा न दर्शाएं, उनके सामान्य मूल्य का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार किया जाना चाहिए।

ग. किसी तीसरे देश में लागत या कीमत के बारे में सूचना के अभाव में, भारत में देय कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया जाना चाहिए।

घ. अनुबंध-I के पैरा 7 के तहत, गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण बाजार अर्थव्यवस्था के तीसरे देश में कीमत या निर्मित मूल्य के आधार पर किया जाएगा, या ऐसे तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों के लिए कीमत, जहां यह संभव नहीं है, किसी अन्य उचित आधार पर, जिसमें उचित मार्जिन को शामिल करने के लिए भारत में भुगतान की गई या देय कीमत भी शामिल, के आधार पर किया जाएगा।

ड. घरेलू उद्योग ने उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में संबद्ध सामानों की प्रचलित कीमतों को प्राप्त करने का प्रयास किया, साथ ही ऐसे तीसरे देश से अन्य देशों में संबद्ध सामानों के निर्यात की कीमत को भी प्राप्त करने का प्रयास किया। हालाँकि, संबद्ध सामानों के लिए समर्पित टैरिफ लाइन के अभाव में, यह ऐसी सूचना का कोई विश्वसनीय स्रोत खोजने में सक्षम नहीं था। तदनुसार, चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य भारत में देय कीमत के आधार पर निर्धारित किया

जा सकता है, अर्थात, बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक खर्चों के लिए भारत में उत्पादन की लागत, उचित लाभ के साथ समायोजित की जाएगी।

च. निर्यात कीमत का निर्धारण डीजीसीआईएंडएस लेनदेन-वार आंकड़ों में बताए गए संबद्ध सामानों के सीआईएफ कीमत के आधार पर किया जाना चाहिए, जिसे समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, बैंक शुल्क, बंदरगाह व्यय और निर्यात कीमत के लिए क्रेडिट लागत को समायोजित किया जाना चाहिए, ताकि कारखानागत निर्यात कीमत निकाली जा सके।

च.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

27. अधिनियम की धारा 9क (1)(ग) के तहत, किसी वस्तु के संबंध में 'सामान्य मूल्य' का अर्थ निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए अभिप्रेत समान वस्तु के लिए व्यापार के सामान्य क्रम में तुलनीय कीमत है; या, जब निर्यात करने वाले देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार के सामान्य क्रम में समान वस्तु की कोई बिक्री नहीं होती है, या जब विशेष बाजार स्थिति या बिक्री की कम मात्रा के कारण ऐसी बिक्री उचित तुलना की अनुमति नहीं देती है, तो निर्यात करने वाले देश या क्षेत्र से निर्यात की जाने वाली समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधि कीमत, या प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागतों के लिए उचित अतिरिक्त के साथ मूल देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत, और इसके लिए लाभ जोड़कर किया जाएगा।

28. प्राधिकारी अनंतिम रूप से नोट करते हैं कि संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने वर्तमान जांच में निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर या अन्यथा सहयोग नहीं किया है। तदनुसार, पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(8) के संदर्भ में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर संबद्ध देश के उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत निर्धारित की गई है।

च.3.1 सामान्य मूल्य का निर्धारण

29. इस जांच के प्रयोजन के लिए, संबद्ध देश को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था देश माना गया है। चीन में डब्ल्यूटीओ अभिगम नयाचार के अनुच्छेद 15 और पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-I के पैराग्राफ 7 और 8 के प्रावधानों के अनुसार, संबद्ध देश के उत्पादकों/निर्यातकों को बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार प्रश्नावली के उत्तर में यह दर्शाना अपेक्षित है कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति प्रबल है। चूंकि संबद्ध देश के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार का उत्तर नहीं दिया है या दावा नहीं किया है, इसलिए पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 के अनुसार सामान्य मूल्य निर्धारित करने की आवश्यकता है, जो इस प्रकार है:

"7. गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयातों के मामले में, सामान्य मूल्य का निर्धारण बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत अथवा निर्मित मूल्य या ऐसे किसी तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों में कीमत के आधार पर किया जाएगा या जहां यह संभव नहीं है, उचित लाभ मार्जिन शामिल करने के लिए यदि आवश्यक हो, तो समान उत्पाद विधिवत समायोजित करने के लिए भारत में वास्तव में प्रदत्त या देय कीमत सहित, किसी अन्य उचित आधार पर निर्धारित किया जाएगा। कोई उचित बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश का चयन उपयुक्त तरीके से निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा"

30. प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने किसी उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में उत्पाद की घरेलू कीमत, निर्मित मूल्य या निर्यात कीमत के संबंध में कोई सूचना नहीं दी है। चूंकि न तो घरेलू उद्योग और न ही किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार ने इस संबंध में कोई सत्यापन योग्य सूचना प्रदान की है, इसलिए उस आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सका।

31. तदनुसार, प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 के संदर्भ में, भारत में समान वस्तु के लिए देय कीमत के आधार पर संबद्ध देश के लिए सामान्य मूल्य का अनंतिम रूप से निर्धारण किया है। सामान्य मूल्य का निर्माण भारत में संबद्ध सामानों के उत्पादन की लागत के आधार पर किया गया है, जो बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक खर्चों के साथ-साथ उचित लाभ के लिए समायोजित किया गया है। इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य को नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

च.3.2 निर्यात कीमत का निर्धारण

32. चूंकि संबद्ध देश के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने प्रश्नावली का उत्तर दायर नहीं किया है, इसलिए निर्यात कीमत को पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(8) के संदर्भ में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है। निर्यात कीमत का निर्धारण संबद्ध देश से आयातित सामानों की सीआईएफ कीमत को ध्यान में रखते हुए किया गया है, जैसा कि डीजीसीआईएंडएस लेनदेन-वार आयात आंकड़ों में बताया गया है। समुद्री माल भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, बैंक शुल्क, बंदरगाह व्यय और क्रेडिट लागत के निमित्त समायोजन किए गए हैं, ताकि कारखानागत (निवल) निर्यात कीमत निकाली जा सके। इस प्रकार निर्धारित निवल निर्यात कीमत नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दी गई है।

च.3.3 पाटन मार्जिन

33. कारखानागत स्तर पर और उसी अवधि से संबंधित उपर्युक्त निर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के आधार पर, संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के लिए पाटन मार्जिन को अनंतिम रूप से निम्नलिखित रूप

में निर्धारित किया गया है। यह देखा जाता है कि पाटन मार्जिन न केवल सकारात्मक है, बल्कि काफी और न्यूनतम स्तर से ऊपर भी है।

विवरण	सामान्य मूल्य*	निर्यात कीमत	पाटन मार्जिन	पाटन मार्जिन	पाटन मार्जिन
	(यूएसडा./एमटी)	(यूएसडा./एमटी)	(यूएसडा./एमटी)	%	रेंज
संबद्ध देश से कोई भी उत्पादक	***	***	***	***	30-40

क्षति का मूल्यांकन और कारणात्मक संपर्क

छ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

34. क्षति और कारणात्मक संपर्क के संबंध में किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा कोई अनुरोध नहीं किए गए हैं।

छ.2 घरेलू उद्योग के विचार

35. घरेलू उद्योग द्वारा क्षति और कारणात्मक संपर्क के संबंध में संक्षेप में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. क्षति की अवधि में भारत में उत्पादन और खपत के संबंध में और निरपेक्ष रूप से दोनों ही तरह से संबद्ध आयात की मात्रा में काफी वृद्धि हुई।

ख. मांग-आपूर्ति के बीच अंतर न होने और घरेलू उद्योग के पास संपूर्ण भारतीय मांग को पूरा करने की पर्याप्त क्षमता होने के बावजूद, इस अवधि में आयात की मात्रा में वृद्धि हुई।

ग. यद्यपि क्षति की अवधि में मांग 231% बढ़ गई, तथापि, संबद्ध आयातों में मांग की वृद्धि से काफी उच्च दर पर 426% तक वृद्धि हुई।

घ. संबद्ध आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों की कटौती हुई है और घरेलू उद्योग की कीमतों पर न्यूनीकरण/ह्रासमान प्रभाव पड़ा था, जिससे उसे अपने उत्पादन लागत से कम पर बिक्री के लिए मजबूर होना पड़ा था।

ड. घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी में क्षति की अवधि के दौरान गिरावट आई, जबकि घरेलू उद्योग के पास काफी बेकार क्षमता होने के बावजूद, संबद्ध आयात की बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि हुई।

च. घरेलू उद्योग को क्षति की अवधि के दौरान काफी वित्तीय हानियां और नकद हानियां हुई हैं, जो जांच की अवधि में अत्यधिक बढ़ गई थी।

छ. वर्तमान कीमतों को देखते हुए, घरेलू उद्योग यहां तक कि ब्रेक ईवन की स्थिति में भी नहीं है और ब्रेक ईवन के लिए अपनी वर्तमान क्षमता से अधिक बेचना होगा।

ज. घरेलू उद्योग ने नियोजित पूंजी पर नकारात्मक आय अर्जित की।

झ. संबद्ध आयात ने पूंजी निवेश जुटाने के लिए घरेलू उद्योग की क्षमता को प्रभावित किया है।

ञ. बाजार में पाटित आयातों की मौजूदगी के कारण घरेलू उद्योग के पास काफी मालसूची थी।

ट. कच्चे माल की लगातार आपूर्ति और मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता हासिल करने के बावजूद, घरेलू उद्योग ने अपनी आधी क्षमता का उपयोग करना जारी रखा।

ठ. संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई है।

ड. किसी अन्य कारक ने घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं पहुंचाई है, और इस तरह की क्षति केवल संबद्ध आयात के कारण हुई है।

छ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

36. अनुबंध-II के साथ पठित नियमावली के नियम 11 में यह प्रावधान है कि क्षति के निर्धारण में पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर इस प्रकार के आयातों का परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत तथ्यों पर विचार करते हुए घरेलू उद्योग को क्षति दर्शाने वाले कारकों की जांच शामिल होगी। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, इस बात की जांच करना आवश्यक माना गया है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा कीमत में बहुत अधिक कटौती हुई है अथवा यह कि क्या इस प्रकार के आयातों के प्रभाव से अन्यथा कीमतों का बहुत अधिक मात्रा में ह्रास हुआ है अथवा कीमत में वृद्धि रूक जाती जो अन्यथा बहुत अधिक मात्रा में हुई होती। भारत में घरेलू उद्योगों पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए, इन सूचकांकों जिनका उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता हो जैसे उत्पादन, क्षमता का उपयोग, बिक्री की मात्रा, मालसूची, लाभप्रदता, निवल बिक्री प्राप्ति, पाटन की मात्रा और मार्जिन आदि पर विचार नियमावली के अनुबंध-II के अनुसार किया गया है।

37. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को क्षति के संबंध में किए गए तर्कों की जांच की है। प्राधिकारी द्वारा किए गए विश्लेषण में जांच के दौरान किए गए विभिन्न अनुरोधों को नीचे हल किया गया है।

छ.3.1 पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव

क. <u>मांग/स्पष्ट खपत का मूल्यांकन</u>

38. वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए, भारत में संबद्ध सामानों की मांग या स्पष्ट खपत का आकलन घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री और सभी स्रोतों से आयात के योग के रूप में किया गया है। इस प्रकार आकलित मांग नीचे दी गई तालिका में दी गई है।

मांग का आकलन

विवरण	यूनिट	2022-23	2023-24	2024-25	पीओआई
कैप्टिव खपत को छोड़कर					
घरेलू उद्योग	एमटी-प्रवृत्ति	100	108	199	237
संबद्ध देश से आयात	एमटी	55	131	320	233
अन्य आयात	एमटी	-	9	-	-
कुल मांग (कैप्टिव को छोड़कर)	एमटी-प्रवृत्ति	100	147	300	287
कैप्टिव खपत सहित					
घरेलू उद्योग	एमटी-प्रवृत्ति	100	108	199	237
कैप्टिव खपत	एमटी-प्रवृत्ति	100	20	6	81
संबद्ध देश से आयात	एमटी	55	131	320	233
अन्य आयात	एमटी	-	9	-	-
कुल मांग (कैप्टिव को छोड़कर)	एमटी-प्रवृत्ति	100	112	220	231

39. यह देखा जाता है कि संबद्ध सामानों (कैप्टिव खपत सहित) की मांग क्षति की अवधि में लगातार बढ़ी और जांच की अवधि के दौरान सबसे अधिक थी, जो आधार वर्ष में *** एमटी से बढ़कर जांच की अवधि में *** एमटी हो गई। कैप्टिव खपत को छोड़कर मांग में भी क्षति की अवधि में काफी वृद्धि हुई।

ख. <u>पूर्ण और सापेक्ष दृष्टि से आयात की मात्रा</u>

40. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी के लिए यह विचार करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों में या तो पूर्ण दृष्टि से या भारत में उत्पादन या खपत के संबंध में काफी वृद्धि हुई है। क्षति विश्लेषण

के उद्देश्य से, प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस आयात आंकड़ों पर भरोसा किया है। क्षति की अवधि के दौरान संबद्ध आयातों की मात्रा नीचे दी गई है।

पूर्ण और सापेक्ष दृष्टि से आयात

विवरण	यूनिट	2022-23	2023-24	2024-25	पीओआई
संबद्ध आयात	एमटी	55	131	320	233
अन्य आयात	एमटी	-	9	-	-
कुल आयात	एमटी	55	140	320	233
निम्नलिखित के संबंध में आयात					
भारतीय उत्पादन	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति		*100*	*272*	*340*	*203*
भारतीय खपत(कैप्टिव को छोड़कर)	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति		*100*	*163*	*195*	*149*
कुल आयात	%	100	94	100	100
प्रवृत्ति		*100*	*94*	*100*	*100*

मांग की तुलना में आयातों में वृद्धि

विवरण	यूनिट	2022-23	2023-24	2024-25	पीओआई
संबद्ध आयात	एमटी	55	131	320	233
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*239*	*584*	*426*
मांग	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*112*	*220*	*231*

41. उपरोक्त से, प्राधिकारी अनंतिम रूप से नोट करते हैं कि संबद्ध आयात क्षति की अवधि में जांच की अवधि में 233 एमटी तक होने से पूर्व आधार वर्ष में 55 एमटी से बढ़कर 2024-25 में 320 एमटी हो गई। संबद्ध आयात भारत में संबद्ध सामानों के आयात के लगभग संपूर्ण भाग के लिए है। भारत में उत्पादन और खपत

के संबंध में संबद्ध आयात में भी काफी वृद्धि हुई है। उल्लेखनीय है कि क्षति की अवधि में, जबकि मांग 231 सूचकांक तक बढ़ गई, संबद्ध आयात 426 सूचकांक तक अर्थात, देश में किसी भी मांग-आपूर्ति अंतर न होने के बावजूद, मांग में वृद्धि की तुलना में बहुत अधिक दर बनी रही।

छ.3.2 पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

42. कीमतों पर पाटित आयातों के संबंध में पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध II के पैरा (ii) के अनुसार प्राधिकारी के लिए यह विचार करना अपेक्षित है कि क्या भारत को समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों से काफी कीमत कटौती हुई है या ऐसे आयातों का प्रभाव काफी मात्रा तक कीमतों को अन्यथा कम करना है या कीमत वृद्धि रोकता है, जो अन्यथा काफी मात्रा में हुई होती।

क. <u>कीमत कटौती</u>

43. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या संबद्ध आयात घरेलू उद्योग की कीमतों की कटौती कर रहे हैं, संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत की तुलना जांच की अवधि में घरेलू उद्योग की निवल बिक्री कीमत से की गई है। इस प्रकार निर्धारत कीमत कटौती नीचे दी गई है।

कीमत कटौती

विवरण	यूनिट	मूल्य
आयात मात्रा	एमटी	233
पहुंच कीमत	रु./एमटी	10,44,174
घरेलू उद्योग की निवल बिक्री कीमत	रु./एमटी	***
कीमत कटौती	रु./एमटी	***
कीमत कटौती	%	***
कीमत कटौती रेंज	%	0-10

44. यह नोट किया जाता है कि, जांच की अवधि के दौरान, संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की निवल बिक्री कीमत से कम थी और संबद्ध आयात घरेलू उद्योग की कीमतों को कम कर रहे थे। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि वह अपनी बाजार हिस्सेदारी बनाए रखने के प्रयास में जांच की अवधि में अपनी

कीमतों को काफी कम करने के लिए मजबूर था; ऐसी कमी के बावजूद, कीमत कटौती सकारात्मक बनी रही।

ख. कीमत ह्रास/न्यूनीकरण

45. कीमत ह्रास और न्यूनीकरण की जांच के प्रयोजन के लिए, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और निवल बिक्री प्राप्ति की तुलना क्षति की अवधि के दौरान संबद्ध आयात के पहुंच मूल्य के साथ निम्नलिखित रूप में की है। आवेदक ने 2022-23 के दौरान अनुरोध किया है, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के कारण प्रमुख कच्चे माल की कीमत काफी विकृत थी। साथ ही, कच्चे माल की सीमित आपूर्ति के कारण, आवेदक का संयंत्र कम उपयोग में था, जिसके परिणामस्वरूप बहुत अधिक निश्चित लागत थी। ऐसी अप्रत्याशित परिस्थितियों को देखते हुए और ऐसी परिस्थितियों के प्रभाव को अलग करने के लिए, आवेदक ने क्षति की अवधि में उच्चतम उपयोग को ध्यान में रखते हुए परिवर्तन लागत को सामान्य करके 2022-23 के लिए लागत को समायोजित किया है। वर्तमान उद्देश्य के लिए इसे ही माना गया है।

कीमत ह्रास/न्यूनीकरण

विवरण	यूनिट	2022-23	2023-24	2024-25	पीओआई
बिक्री लागत	रु./एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	*100*	*99*	*90*	*95*
निवल बिक्री प्राप्ति	रु./एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	*100*	*106*	*102*	*95*
आयातों की पहुंच कीमत	रु./एमटी	11,13,494	11,35,179	10,58,702	10,44,174
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	*100*	*102*	*95*	*94*

46. उपरोक्त से, प्राधिकारी अनंतिम रूप से नोट करते हैं कि संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत क्षति की अवधि में घट गई और पूरी क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम रही। कम कीमत वाले आयात का सामना करते हुए, घरेलू उद्योग अपनी निवल बिक्री प्राप्ति को कम/बनाए रखने के लिए विवश था, भले ही वह पहले से ही अपनी बिक्री लागत से कम बेच रहा था और अपनी लागतों की वसूली के लिए अपनी कीमतें नहीं बढ़ा सकता था। 2023-24 में, घरेलू उद्योग की लागत में मामूली गिरावट आई। हालाँकि,

जैसे-जैसे पहुंच कीमत में भी मामूली वृद्धि हुई, घरेलू उद्योग ने अपनी कीमत बढ़ा दी। 2024-25 में, घरेलू उद्योग की लागत में और गिरावट आई। पहुंच कीमत में गिरावट के अनुरूप घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में भी गिरावट आई। जांच की अवधि में, बिक्री की लागत बढ़ने के बावजूद, घरेलू उद्योग ने आयात की कीमतों में गिरावट और बढ़ते आयात के कारण अपनी निवल बिक्री प्राप्ति में काफी कमी की। इस प्रकार आयात का घरेलू उद्योग की कीमतों पर न्यूनीकरण प्रभाव पड़ा है।

छ.3.3 घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंड

47. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II में यह अपेक्षित है कि पाटित आयातों के घरेलू उद्योग पर प्रभाव की जांच में उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी संगत आर्थिक कारकों और तत्वों का एक वस्तुपरक और निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल है। घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति मापदंडों की जांच नीचे की गई है।

क. उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्री

48. क्षति की अवधि के दौरान क्षमता, उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग के संबंध में घरेलू उद्योग का निष्पादन निम्नानुसार था।

उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्री

विवरण	यूनिट	2022-23	2023-24	2024-25	पीओआई
संस्थापित क्षमता	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*100*	*100*	*100*
उत्पादन(पीयूसी)	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*88*	*172*	*209*
क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*88*	*172*	*209*
घरेलू बिक्री	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*108*	*199*	*237*
निर्यात बिक्री	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*68*	*137*	*125*

49. प्राधिकारी अनंतिम रूप से नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की संस्थापित क्षमता क्षति की अवधि में स्थिर रही। मांग में वृद्धि के अनुरूप, घरेलू उद्योग के उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्री में वृद्धि हुई, घरेलू उद्योग की क्षमता का एक काफी हिस्सा (जांच की अवधि में लगभग 47%) अप्रयुक्त रहा, इसके बावजूद कि देश में पर्याप्त मांग और कोई मांग-आपूर्ति अंतर नहीं था।

ख. <u>बाजार हिस्सा</u>

50. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के बाजार हिस्सेदारी पर पाटित आयातों के प्रभाव की अस्थायी रूप से जांच की है, और विषय देश और अन्य देशों से आयात के तहत।

बाज़ार हिस्सा (कैप्टिव को छोड़कर मांग में)

विवरण	यूनिट	2022-23	2023-24	2024-25	पीओआई
घरेलू उद्योग	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*74*	*66*	*83*
संबद्ध आयात	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*74*	*66*	*83*
अन्य आयात	%	-	3	-	-
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*		100		

51. प्राधिकारी अनंतिम रूप से नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी आधार वर्ष में 74% से घटकर 2024-25 में 49% हो गई, जबकि इसी अवधि में संबद्ध आयात की बाजार हिस्सेदारी 26% से बढ़कर 51% हो गई। तथापि घरेलू उद्योग जांच की अवधि में अपनी बाजार हिस्सेदारी को आंशिक रूप से पुनः प्राप्त करने में सक्षम था, लेकिन यह केवल अपनी कीमतों को काफी कम करके और बिक्री की लागत से कम बेचकर ऐसा कर सका, जिससे उसे बढ़ी हुई हानियां उठानी पड़ी। जब क्षति की अवधि में देखा जाए, तो संबद्ध आयातों की बाजार हिस्सेदारी बढ़ गई, जबकि घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी घट गई, घरेलू उद्योग के पास काफी बेकार क्षमता और उत्पाद के उत्पादन और बिक्री में कोई अन्य बाधा नहीं थी।

ग. <u>मालसूची</u>

52. क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग में मालसूची नीचे दी गई तालिका में दी गई है।

मालसूची

विवरण	यूनिट	2022-23	2023-24	2024-25	पीओआई
प्रारंभिक मालसूची	एमटी	***	***	***	***
अंतिम मालसूची	एमटी	***	***	***	***
औसत मालसूची	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*21*	*111*	*200*

53. प्राधिकारी अनंतिम रूप से नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की औसत मालसूची में क्षति की अवधि में काफी वृद्धि हुई, क्योंकि संबद्ध आयात ने घरेलू उद्योग के बाजार को छीन लिया।

घ. <u>लाभप्रदता, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय</u>

54. लाभ, नकद लाभ और निवेश पर आय के संबंध में घरेलू उद्योग के निष्पादन की जांच की गई है।

लाभप्रदता मापदंड

विवरण	यूनिट	2022-23	2023-24	2024-25	पीओआई
बिक्री लागत	रु./एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	*100*	*99*	*90*	*95*
निवल बिक्री प्राप्ति	रु./एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	*100*	*106*	*102*	*95*
लाभ / (हानि)	रु./एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*(100)*	*(77)*	*(50)*	*(94)*
लाभ / (हानि)	लाख रु.	***	***	***	***

प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*(100)*	*(83)*	*(99)*	*(222)*
नकद लाभ / (हानि)	लाख रु.	***	***	***	***
हानि	*सूचीबद्ध*	*(100)*	*(56)*	*(67)*	*(206)*
नियोजित पूंजी पर आय	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*(100)*	*(75)*	*(81)*	*(155)*

55. प्राधिकारी अनंतिम रूप से नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग को क्षति की अवधि के दौरान वित्तीय हानियां हुईं, जो जांच की अवधि में अत्यधिक हो गई थी। घरेलू उद्योग कम कीमत वाले पाटित आयातों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए पूरी क्षति अवधि में अपनी बिक्री लागतों से कम पर बिक्री कर रहा था। उत्पादन और बिक्री मात्रा में वृद्धि होने के बावजूद, क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग की हानियां बढ़ी। घरेलू उद्योग की नकद हानियां भी काफी बढ़ी और घरेलू उद्योग ने पूरी क्षति अवधि में नियोजित पूंजी पर नकारात्मक आय अर्जित की, जो जांच की अवधि में काफी कम हो गई।

ड. <u>रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता</u>

56. क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता नीचे दी गई तालिका में दी गई है:

रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता

विवरण	**यूनिट**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**	**पीओआई**
कर्मचारियों की संख्या	संख्या	***	***	***	***
प्रवृत्ति		*100*	*91*	*113*	*120*
वेतन एवं मजदूरी	लाख रु.	***	***	***	***
प्रवृत्ति		*100*	*87*	*137*	*159*
प्रति दिन उत्पादकता	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति		*100*	*88*	*172*	*209*

प्रति कर्मचारी उत्पादकता	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति		*100*	*96*	*152*	*175*

57. प्राधिकारी अनंतिम रूप से नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा भुगतान किए गए कर्मचारियों की संख्या और वेतन में क्षति की अवधि में वृद्धि हुई है, और उत्पादन में वृद्धि के साथ उत्पादकता भी बढ़ी है। घरेलू उद्योग ने इस आधार पर क्षति का दावा नहीं किया है।

च. <u>वृद्धि</u>

58. प्राधिकारी अनंतिम रूप से नोट करते हैं कि यद्यपि घरेलू उद्योग के मात्रात्मक मापदंड (उत्पादन और घरेलू बिक्री) में क्षति की अवधि में वृद्धि हुई है, तथापि घरेलू उद्योग की कीमत और लाभप्रदता मापदंडों में काफी गिरावट आई है। घरेलू उद्योग संबद्ध आयात की कम पहुंच कीमत के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए बिक्री की लागत से कम पर बेच रहा था, जिसके परिणामस्वरूप काफी हानियां, नकद हानियां और नियोजित पूंजी पर नकारात्मक आय हुई। इस प्रकार, इसकी कीमत और लाभप्रदता मापदंडों के संदर्भ में घरेलू उद्योग की वृद्धि नकारात्मक थी।

छ. <u>पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता</u>

59. घरेलू उद्योग को पूरी क्षति की अवधि में हानियां, नकद हानियां और नियोजित पूंजी पर नकारात्मक आय हुई है। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि वह अपने ऋण दायित्वों को पूरा करने की स्थिति में नहीं है और मौजूदा कीमतों पर कोई नया निवेश अर्थक्षम नहीं है। प्राधिकारी अनंतिम रूप से नोट करते हैं कि संबद्ध आयातों से संबद्ध सामानों के लिए पूंजी निवेश जुटाने की घरेलू उद्योग की क्षमता पर प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई है।

ज. <u>पाटन की मात्रा</u>

60. प्राधिकारी अनंतिम रूप से नोट करते हैं कि उपर्युक्त खंड-छ में निर्धारित किए गए अनुसार पाटन मार्जिन सकारात्मक और न्यूनतम स्तर से अधिक होने पर संबद्ध देश से संबद्ध सामानों का पाटन काफी है।

छ.3.4 निष्कर्ष

61. उपरोक्त के आधार पर, निम्नलिखित को अनंतिम रूप से नोट किया जाता है -

क. इस अवधि में संबद्ध वस्तु की मांग में वृद्धि हुई है।

ख. हालांकि जांच की अवधि में आयात की मात्रा में कमी आई है, लेकिन संबद्ध आयातों की मात्रा में पूर्ण दृष्टि से और भारतीय उत्पादन और खपत के संबंध क्षति की अवधि में देखे जाने पर, वृद्धि हुई है।

ग. मांग-आपूर्ति अंतर न होने और मांग में वृद्धि से अधिक दर पर होने के बावजूद आयात बढ़े हैं।

घ. जबकि क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी में गिरावट आई है, संबद्ध आयात की बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है।

ड. संबद्ध आयातों से भारतीय उद्योग की कीमतों की कटौती हुई है।

च. संबद्ध आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों का न्यूनीकरण हुआ है।

छ. घरेलू उद्योग के उत्पादन और आपूर्ति में वृद्धि के बावजूद उसके पास उपयोग में न लाई गई क्षमताएं रही हैं।

ज. बाजार हिस्सेदारी में कमी के कारण घरेलू उद्योग की मालसूची जमा हो गई है।

झ. घरेलू उद्योग को भारी हानिया और नकद हानियां हुई हैं।

ञ. घरेलू उद्योग ने अपनी नियोजित पूंजी पर नकारात्मक आय दर्ज की।

ट. आयातों से पूंजी निवेश जुटाने की घरेलू उद्योग की क्षमता प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई है। संबद्ध देशों के लिए पाटन मार्जिन सकारात्मक और काफी है।

62. उपर्युक्त को देखते हुए, प्राधिकारी अनंतिम रूप से निष्कर्ष निकालते हैं कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है।

छ.3.5 गैर-आरोपण विश्लेषण

63. प्राधिकारी ने अनंतिम रूप से जांच की है कि क्या पाटित आयातों को छोड़कर किसी ज्ञात कारक से घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है, ताकि ऐसे अन्य कारकों के कारण होने वाली किसी भी क्षति को पाटित आयातों के कारण जिम्मेदार न ठहराया जाए।

क. तीसरे देशों से आयात की मात्रा और मूल्य – संबद्ध आयात भारत में संबद्ध सामानों के आयात का लगभग संपूर्ण हिस्सा है। तीसरे देशों से आयात नगण्य है और घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं पहुंचा सकते हैं।

ख. मांग में संकुचन - क्षति की अवधि में संबद्ध सामानों की मांग बढ़ गई और जांच की अवधि में अधिकतम थी। अत:, घरेलू उद्योग को क्षति मांग में किसी संकुचन के कारण नहीं ठहराई जा सकती।

ग. खपत के पैटर्न में परिवर्तन - घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने के लिए संबद्ध सामानों की खपत के पैटर्न में कोई वास्तविक परिवर्तन नहीं हुआ है।

घ. प्रतिस्पर्धा की शर्तें और व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियां - प्रतिस्पर्धा की किसी भी ऐसी स्थिति या व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाओं परिपाटियों का कोई साक्ष्य नहीं है जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा सकते हों।

ङ. प्रौद्योगिकी में विकास - संबद्ध सामानों के उत्पादन की प्रौद्योगिकी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा सकता हो।

च. घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन - ऊपर जाँची गई क्षति की सूचना केवल घरेलू उद्योग के घरेलू प्रचालनों से संबंधित है, जिसे इसके निर्यात प्रचालन से अलग कर दिया गया है। अत:, हुई क्षति को घरेलू उद्योग के निर्यात निष्पादन के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

छ. उत्पादकता - घरेलू उद्योग की उत्पादकता में क्षति की अवधि में वृद्धि हुई और इसलिए, घरेलू उद्योग को क्षति नहीं पहुंचा सकी।

छ.3.6 कारणात्मक संपर्क सिद्ध करने वाले कारक

64. जबकि पाटनरोधी नियमावली के तहत सूचीबद्ध अन्य ज्ञात कारकों ने घरेलू उद्योग को क्षति नहीं पहुंचाई है, प्राधिकारी अनंतिम रूप से नोट करते हैं कि निम्नलिखित मापदंड अनंतिम रूप से सिद्ध करते हैं कि घरेलू उद्योग को पाटित आयातों के कारण हानियां नहीं हुई हैं:

क. संबद्ध देश से संबद्ध सामानों का अत्यधिक पाटन है।

ख. घरेलू उद्योग में काफी बेकार क्षमता और देश में मांग-आपूर्ति के अंतर के बावजूद, क्षति की अवधि में संबद्ध आयात की मात्रा में निरपेक्ष और सापेक्ष दोनों दृष्टि से काफी वृद्धि हुई।

ग. इसके परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी में गिरावट आई जबकि क्षति की अवधि में संबद्ध आयात के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई।

घ. संबद्ध आयात घरेलू उद्योग की कीमतों को काफी कम करते हैं और उन कीमतों पर ह्रासमान और न्यूनीकरण प्रभाव था, जिससे घरेलू उद्योग को अपनी बिक्री लागत से कम पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा।

ङ. परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग को काफी वित्तीय हानियां और नकद हानियां हुई, और नियोजित पूंजी पर नकारात्मक आय अर्जित हुई।

च. यहां तक कि इसके उत्पादन और बिक्री में वृद्धि होने के बावजूद, घरेलू उद्योग की क्षमता का कम उपयोग किया गया और इसकी मालसूची काफी बढ़ गई।

65. प्राधिकारी, उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, अनंतिम रूप से यह निष्कर्ष निकालते हैं कि संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के पाटन और घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति के बीच एक कारणात्मक संपर्क मौजूद है।

छ.3.7 क्षति मार्जिन की मात्रा

66. प्राधिकारी ने यथा-संशोधित अनुबंध-III के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए क्षतिरहित कीमत (एनआईपी) निर्धारित की है। विचाराधीन उत्पाद की क्षतिरहित कीमत घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत उत्पादन लागत से संबंधित सूचना/आंकड़े अपनाकर निर्धारित की गई है। क्षतिरहित कीमत निर्धारित करने के लिए क्षति की अवधि में कच्ची सामग्री और यूटिलिटियों के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है और क्षति की अवधि में सर्वोत्तम क्षमता उपयोग अपनाया गया है; असाधारण और गैर-आवर्ती व्यय उत्पादन लागत से अलग किए गए हैं; और विचाराधीन उत्पाद के लिए औसत नियोजित पूंजी (अर्थात् औसत निवल अचल परिसंपत्तियां और औसत कार्यशील पूंजी) पर उचित आय (कर-पूर्व 22%) कर-पूर्व लाभ के रूप में अनुमति दी गई है ताकि पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III के तहत निर्धारित किए गए अनुसार क्षतिरहित कीमत निकाली जा सके।

67. पहुंच कीमत और ऊपर निर्धारित क्षतिरहित कीमत के आधार पर, संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के लिए क्षति मार्जिन, जैसा कि प्राधिकारी द्वारा अनंतिम रूप से निर्धारित किया गया है, निम्नलिखित तालिका में दिया गया है। यह देखा जाता है कि क्षति मार्जिन सकारात्मक और काफी है।

विवरण	क्षति रहित कीमत*	पहुंच कीमत	क्षति मार्जिन	क्षति मार्जिन	क्षति मार्जिन
	(यूएसडॉ./एमटी)	(यूएसडॉ./एमटी)	(यूएसडॉ./एमटी)	%	(रेंज)
संबद्ध देश से कोई उत्पादक	***	***	***	***	30-40

ज. भारतीय उद्योग के हित और अन्य मुद्दे

ज 1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

68. किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा कोई अनुरोध नहीं किया गया है, और किसी भी आयातक/प्रयोक्ता ने भारतीय उद्योग के हित या पाटनरोधी शुल्क के आर्थिक प्रभाव के पहलू पर वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया है।

ज.2 घरेलू उद्योग के विचार

69. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं -

क. आवेदक देश में विचाराधीन उत्पाद का एकमात्र उत्पादक है और आत्मनिर्भर भारत का ध्वजवाहक है।

ख. घरेलू उद्योग की अर्थक्षमता की रक्षा के लिए शुल्कों लगाना आवश्यक है।

ग. निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने और विदेशी मुद्रा भंडार में योगदान करने के लिए शुल्क लगाना आवश्यक है।

घ. शुल्क लगाने से संबद्ध सामानों की आपूर्ति में कमी नहीं आएगी क्योंकि प्रयोक्ता घरेलू उद्योग से और उचित कीमत पर संबद्ध देश से खरीद कर सकते हैं।

ड. शुल्क न लगाने से प्रयोक्ता निर्यात पर निर्भर हो जाएंगे जो निर्यातकों द्वारा उपयोग किए जाने के लिए सुभेद्य हो जाएंगे।

च. शुरु में, कच्चे माल की आपूर्ति नियमित रूप से बाधित हो गई थी क्योंकि संबद्ध देश के आपूर्तिकर्ताओं ने अपनी घरेलू मांग को पूरा करने और कृत्रिम रूप से कीमतों को बढ़ाने के लिए संविदाओं पर चूक की। परिणामस्वरूप, आवेदक ने उत्पादों की निरंतर और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कच्चे माल के उत्पादन को स्वदेशी बनाने के प्रयास किए।

छ. आवेदक भारत में 2,3 डाइमिथाइल-1-बुटेने और पैरासाइमीन के लिए अपस्ट्रीम उद्योग स्थापित करने में सफल रहा है, जो पहले मौजूद नहीं था।

ज. ऊपरी उत्पादों (2,3 डाइमिथाइल- 1- बुटेने (डीएमबी-1)) और पैरासाइमीन (पी-साइमीन) के उत्पादन के लिए स्थापित सुविधाओं की अर्थ क्षमता की रक्षा के लिए शुल्क लगाना अनिवार्य है क्योंकि उनका उत्पादन सीधे संबद्ध सामानों के निष्पादन पर निर्भर है।

झ. यदि शुल्क नहीं लगाया जाता है तो घरेलू उद्योग के साथ-साथ ऊपरी स्तर के उद्योग द्वारा उत्पन्न कुल रोजगार खतरे में पड़ जाएगा।

ञ. आवेदक के पास देश में पूरी मांग को पूरा करने की पर्याप्त क्षमता है, और इस प्रकार, किसी भी मांग आपूर्ति अंतर के अभाव में आयात पूरी तरह से अनावश्यक है।

ट. विचाराधीन उत्पाद अंतिम उत्पादों के लिए एक प्रमुख कच्चा माल या इनपुट नहीं है।

ठ. इसका उपयोग बहुत कम मात्रा में सुगंधों के निर्माण के लिए किया जाता है, जिसका उपयोग विभिन्न अंतिम उत्पादों के निर्माण में बहुत कम मात्रा में किया जाता है।

ड. चूंकि अंतिम उत्पादों की कुल लागत में संबद्ध सामानों का बहुत कम हिस्सा होता है, इसलिए पाटनरोधी शुल्क लगाने के कारण कीमत में किसी भी वृद्धि का अंतिम उत्पाद पर नगण्य प्रभाव पड़ेगा।

ढ. शुल्कों को लगाने से निचले स्तर के प्रयोक्ताओं की लागत में कोई अधिक वृद्धि नहीं होगी।

ज.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

70. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क का प्राथमिक उद्देश्य पाटन की अनुचित व्यापार परिपाटियों द्वारा घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर करना है, जिससे भारतीय बाजार में खुले और न्यायसंगत प्रतिस्पर्धा का माहौल बन सके। पाटनरोधी उपाय लगाना संबद्ध देश से आयात को मनमाने ढंग से कम करने के लिए नहीं बनाया गया है। बल्कि, यह एक समान अवसर सुनिश्चित करने का एक तंत्र है। प्राधिकारी मानते हैं कि पाटनरोधी शुल्क की निरंतरता भारत में उत्पाद के कीमत स्तर को प्रभावित कर सकती है। हालाँकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भारतीय बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का सार इन उपायों के लागू होने से अप्रभावित रहेगा। प्रतिस्पर्धा को कम करने के बजाय, पाटनरोधी उपाय लगाना पाटन परिपाटियों के माध्यम से अनुचित लाभों के संचय को रोकने का काम करता है। यह संबद्ध सामानों के व्यापक चयन तक उपभोक्ताओं की पहुंच की रक्षा करता है। इस प्रकार, पाटनरोधी शुल्क बाधा नहीं बल्कि उचित व्यापार परिपाटियों का एक सहायक है।

71. प्राधिकारी ने आयातकों, प्रयोक्ताओं और उपभोक्ताओं सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों से विचार आमंत्रित करते हुए, आजांच शुरुआत अधिसूचना जारी की। घरेलू उद्योग, उत्पादकों/निर्यातकों और आयातकों/प्रयोक्ताओं/उपभोक्ताओं सहित विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों को वर्तमान जांच के संबंध में संगत सूचना प्रदान करने की अनुमति देने के लिए एक आर्थिक हित प्रश्नावली भी निर्धारित की गई थी, जिसमें उनके प्रचालनों पर पाटनरोधी शुल्क का संभावित प्रभाव भी शामिल है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी भी आयातक/प्रयोक्ता ने वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया है या प्रस्तावित पाटनरोधी शुल्क के आर्थिक प्रभाव पर कोई सूचना प्रस्तुत नहीं की है।

72. घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि शुल्क लगाने का अंतिम निचले स्तर के उपभोक्ताओं पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा। रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना के अनुसार, यह नोट किया जाता है कि विचाराधीन उत्पाद का उपयोग बहुत कम मात्रा में सुगंधों के निर्माण के लिए किया जाता है, जिसका उपयोग आगे सुगंध, साबुन, डिटर्जेंट, धूपबत्ती, कपड़े को नरम करने वाले आदि जैसे अंतिम उत्पादों के निर्माण के लिए कम मात्रा में किया जाता है। आवेदक ने अनुरोध किया कि संबद्ध सामान सुगंध या डिओडोरेंट के लिए उपयोग की जाने वाली सुगंध की कुल लागत का 3% हैं। बदले में, सुगंध इत्र या डिओडोरेंट के निर्माण की कुल लागत का केवल 4% है। इसी प्रकार, संबद्ध सामान साबुन के लिए सुगंध बनाने के लिए कुल लागत का

केवल 7% हैं, जो साबुन की लागत में केवल 1.2% हैं। अंतिम उत्पाद में उपयोग किए जाने वाले संबद्ध सामानों के नगण्य हिस्से को देखते हुए, यह नोट किया जाता है कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से अंतिम उपभोक्ताओं की लागतों पर न्यूनतम प्रभाव पड़ेगा, जो विभिन्न अंतिम उत्पादों के लिए 50 पैसे से अधिक नहीं होगा।

क्र.सं.	अनुप्रयोग	यूनिट	फार्मूला	सोप	डिटर्जेंट	शैंपू	फैब्रिक सॉफ़्नर	डिओडोरेंट	परफ्यूम
1	डाउनस्ट्रीम उत्पादों में सुगंध का अनुपात	%	ए	1.20%	0.20%	0.80%	2%	4%	4%
2	अंतिम उत्पादों की सुगंध में विचाराधीन उत्पाद का हिस्सा	%	बी	7%	7%	6%	6%	3%	3%
3	अंतिम उत्पादों का बाजार मूल्य	रु./किग्रा.	डी	344	2,380	2,170	374	900	11,040
4	विचाराधीन उत्पाद की पहुंच कीमत	रु./किग्रा.	ई	1,044	1,044	1,044	1,044	1,044	1,044
5	बिना पाटनरोधी शुल्क के निचले स्तर के उत्पादों में विचाराधीन उत्पाद	रु./किग्रा.	एफ = ई * ए * बी	0.877	0.146	0.501	1.253	1.253	1.253
6	प्रस्तावित शुल्क	रु./किग्रा.	जी = ई * 40%	418	418	418	418	418	418
7	अंतिम उत्पादों में विचाराधीन उत्पाद की लागत में वृद्धि	रु./किग्रा.	एच = जी * ए * बी	0.35	0.06	0.20	0.50	0.50	0.50

8	अंतिम उत्पाद पर शुल्क का % प्रभाव	%	आई = एच/डी	0.10%	0.002%	0.01%	0.13%	0.06%	0.005%

73. यह नोट किया जाता है कि देश में कोई मांग-आपूर्ति अंतर नहीं है जिसके लिए देश में पाटित आयातों की आवश्यकता है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारतीय उद्योग के पास घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई काफी क्षमताएं हैं जो देश में पूरी वर्तमान और अनुमानित मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं।

झ. अनंतिम निष्कर्ष और सिफारिश

74. वर्तमान प्रारंभिक निष्कर्ष प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी नियमों के नियम 12 के तहत दर्ज किए जा रहे हैं, जिसके अनुसार प्राधिकारी को जाँच की कार्यवाही शीघ्रता से आगे बढ़ानी होती है और, उपयुक्त मामलों में, निर्यात मूल्य, सामान्य मूल्य तथा डंपिंग मार्जिन के संबंध में प्रारंभिक निष्कर्ष दर्ज करना होता है। इसके साथ-साथ घरेलू उद्योग को हुई क्षति के संबंध में भी एक निष्कर्ष दर्ज किया जाना आवश्यक है, जिसमें उन तथ्यों और विधिक आधारों का पर्याप्त विवरण होना चाहिए, जिन पर ऐसे निष्कर्ष आधारित हैं, तथा उक्त निष्कर्षों को दर्ज करते हुए एक सार्वजनिक सूचना जारी की जानी होती है। इसमें निहित अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश, पाटनरोधी नियमों के नियम 13 को अधिनियम की धारा 9अ(2) के साथ पढ़े जाने के आधार पर की गई है। प्राधिकारी के समक्ष किए गए अनुरोधों, दी गई सूचना और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर, और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति और पाटन के उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर, प्राधिकारी अनंतिम रूप से निम्नलिखित निष्कर्ष निकालते हैं:

क. यह आवेदन-पत्र केवा फ्रेगरेंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है, जो भारत में संबद्ध सामानों का एकमात्र उत्पादक है, कुल भारतीय उत्पादन का 100% है, और इस प्रकार पाटनरोधी नियमावली के नियम 2 (ख) के अनुसार घरेलू उद्योग है। इसके अलावा, आवेदन-पत्र पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार आधार की अपेक्षा को पूरा करता है।

ख. विचाराधीन उत्पाद "1-(3,5,5,6,8,8 -हेक्सामिथाइल- 6,7 -डाइहाइड्रोनेथ्राफेन- 2-वाईएल) एथेनोन" है, और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध सामान आयातित संबद्ध सामानों की समान वस्तु हैं।

ग. किसी भी उत्पादक/निर्यातक, आयातक/प्रयोक्ता या अन्य हितबद्ध पक्षकार से विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के संबंध में कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई, न ही कोई पीसीएन पद्धति प्रस्तावित की गई थी। तदनुसार, इस सतर पर कोई पीसीएन पद्धति नहीं अपनाई गई है।

घ. संबद्ध देश के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने जांच का उत्तर नहीं दिया या बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार का दावा नहीं किया। तदनुसार, चीन के अभिगम नयाचार के अनुच्छेद 15 और पाटनरोधी

नियमावली के अनुबंध-1 के पैराग्राफ 7 के अनुसार, सामान्य मूल्य भारत में देय कीमत के आधार पर निर्धारित किया गया है, और निर्यात कीमत पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित की गई है।

ड. इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए, संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के लिए पाटन मार्जिन सकारात्मक, अत्यधिक और न्यूनतम स्तर से अधिक है।

च. घरेलू उद्योग के साथ किसी भी मांग-आपूर्ति अंतराल के न होने और काफी बेकार क्षमता के बावजूद, क्षति की अवधि में संबद्ध आयात में निरपेक्ष और सापेक्ष दोनों दृष्टि से काफी वृद्धि हुई।

छ. संबद्ध आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों की कटौती हुई है और उनकी ऐसी कीमतों पर ह्रासमान प्रभाव पड़ा था।

ज. उत्पादन और बिक्री में वृद्धि के बावजूद, घरेलू उद्योग की क्षमता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा निष्क्रिय रहा और इसकी मालसूची संचित हो गई।

झ. घरेलू उद्योग को अत्यधिक वित्तीय हानियां, नकद हानियां और नियोजित पूंजी पर नकारात्मक आय हुई। विशेष रूप से, क्षति अवधि के प्रत्येक वर्ष में घरेलू उद्योग को नकद हानि हुई, जो वर्ष 2022-23 में ₹*** से बढ़कर जाँच अवधि में ₹*** लाख हो गई, अर्थात इसमें दोगुने से भी अधिक की वृद्धि हुई।

ञ. आयात ने घरेलू उद्योग की आगे पूंजी निवेश बढ़ाने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है।

ट. किसी अन्य ज्ञात कारक ने घरेलू उद्योग को क्षति नहीं पहुंचाई है; घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के पाटित आयातों से हुई है।

ठ. पाटनरोधी शुल्क लगाना जनता के हित में है और इसका व्यापक रूप से जनता के हितों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

ड. शुल्क के लगाने से अंतिम उपभोक्ताओं की लागत में काफी वृद्धि नहीं होगी।

ढ. संबद्ध सामानों का उपयोग बहुत कम मात्रा में सुगंध बनाने के लिए किया जाता है, जिसका उपयोग विभिन्न निचले स्तर के उत्पादों के निर्माण में भी कम मात्रा में किया जाता है।

ण. संबद्ध सामान अंतिम प्रयोक्ताओं के लिए एक प्रमुख लागत नहीं बनाते।

प. देश में मांग आपूर्ति का कोई अंतर नहीं है, और भारतीय उद्योग के पास पूरी मांग को पूरा करने की पर्याप्त क्षमताएं हैं।

75. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच विधिवत शुरू की गई थी और सभी हितबद्ध पक्षकारों को सूचित किया गया था और पाटन, क्षति और कारणात्मक संपर्क के पहलुओं पर सकारात्मक सूचना देने का पर्याप्त अवसर दिया गया था। पाटनरोधी नियमावली के अनुसार पाटन, क्षति और कारणात्मक संपर्क के संबंध में जांच शुरू करने और जांच करने तथा उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार वर्तमान प्रारंभिक निष्कर्ष अभिलिखित किए जाने के पश्चात, प्राधिकरण का यह मत है कि जांच पूरी होने तक पाटन एवं क्षति की भरपाई के लिए अनंतिम प्रतिपाटन-रोधी शुल्क लगाया जाना आवश्यक है। अत: प्राधिकारी अधिनियम की धारा 9क(2) के साथ पठित पाटनरोधी नियमों के नियम 13 के अनुसार, संबद्ध देश से संबद्ध सामानों

के आयातों पर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना आवश्यक समझते हैं और उसकी सिफारिश करते हैं।

76. कमतर शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन के कमतर के बराबर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करते हैं। तद्नुसार, प्राधिकारी संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के आयातों पर केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित की जाने वाली अवधि के लिए निम्नलिखित शुल्क तालिका के कॉलम (7) में निर्धारित राशि के बराबर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करते हैं। इस प्रयोजन के लिए आयातों का पहुंच मूल्य सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1962 के तहत और सीमा शुल्क के लागू स्तर के तहत, सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 3,3क,8ख,9 और 9क के तहत लगाए गए शुल्कों को छोड़कर, सीमा शुल्क विभाग द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार निर्धारणीय मूल्य होगा।

शुल्क तालिका

क्र. सं.	प्रशुल्क शीर्ष/उपशीर्ष	सामानों का विवरण	मूल देश	निर्यात का देश	उत्पादक	शुल्क राशि	मुद्रा	यूनिट
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	2914 3990	1-(3,5,5,6,8,8 -हेक्सामिथाइल- 6,7 -डाइहाइड्रोनेथ्रालेन- 2-वाईएल) एथेनोन*	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. सहित कोई देश	कोई	3,967	यूएसडॉ.	एमटी
2	-वही-	-वही-	चीन जन.गण. को छोड़कर कोई देश	चीन जन.गण	कोई	3,967	यूएसडॉ.	एमटी

*विचाराधीन उत्पाद 1-(3,5,5,6,8,8 -हेक्सामिथाइल- 6,7 -डाइहाइड्रोनेथ्रालेन- 2-वाईएल) एथेनोन में वर्णित है, जिसका सीएएस नंबर 21145-77-7 और 1506-02-1 है, और विभिन्न ब्रांड नामों के तहत बेचा जाता है, जिनमें शामिल हैं, लेकिन सीमित नहीं हैं, टोनैलाइड, टोनैलिड, मस्कोफ़िक्स, गैनोलिड, फिक्सोलाइड, एएचटीएन, मस्क एएचएमटी, अल्ट्रामस्क, लैनोलिड, मस्क टेट्रालीन, डेर्नालाइड, मिथाइल नोनील एसीटोफेनोन, केवोलिड, टेन्टरॉम, टेट्रालाइड। उत्पाद का रासायनिक सूत्र सी1एच26O है।

ञ. आगे की प्रक्रिया

77. इन प्रारंभिक जांच परिणामों की अधिसूचना के बाद निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा:

क. प्राधिकारी इन जांच परिणामों के प्रकाशन से 30 दिनों के भीतर सभी हितबद्ध पक्षकारों से इन अनंतिम जांच परिणामों पर टिप्पणियां आमंत्रित करते हैं, और जहां तक संगत माना जाए, अंतिम जांच परिणामों में उन पर विचार किया जाएगा।

ख. प्राधिकारी हितबद्ध पक्षकारों को संबद्ध जांच के संगत अपने विचार देने के लिए अवसर प्रदान करने हेतु पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार मौखिक सुनवाई आयोजित करेंगे। मौखिक सुनवाई की तारीख डीजीटीआर की वेबसाइट (www.dgtr.gov.in) पर प्रकाशित की जाएगी।

ग. प्राधिकारी आगे आवश्यक मानी गई सीमा तक, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत सूचना का सत्यापन करेंगे।

घ. प्राधिकारी संबद्ध जांच में अंतिम जांच परिणाम जारी करने से पूर्व पाटनरोधी नियमावली के अनुसार अनिवार्य तथ्यों का प्रकटन करेंगे।

अमिताभ कुमार, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

PRELIMINARY FINDINGS

New Delhi, the 23rd September, 2026

Case No. AD (OI)-13/2026

SETU Case ID – AD/OI/014/2026

Subject: Anti-dumping investigation concerning imports of "1-(3,5,5,6,8,8-hexamethyl-6,7-dihydronaphthalen-2-yl) ethenone" originating in or exported from China PR.

F. No. 6/14/2026-DGTR. — Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as the 'Act') and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred to as the 'AD Rules' or the 'Rules'), and following the initiation of the subject investigation by the Designated Authority (hereinafter referred to as the 'Authority') vide Initiation Notification No. 6/14/2026-DGTR dated 19th March, 2026, the Authority provisionally records the present preliminary findings.

A. BACKGROUND OF THE CASE

1. Whereas, M/s Keva Fragrances Private Limited (hereinafter referred to as the 'applicant' or the 'domestic industry') filed an application before the Authority in accordance with the Act and the AD Rules, for initiation of an anti-dumping investigation concerning imports of "1-(3,5,5,6,8,8-hexamethyl-6,7-dihydronaphthalen-2-yl) ethenone" (hereinafter referred to as the 'subject goods' or the 'product under consideration' or the 'PUC'), originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as the 'subject country'), and for imposition of anti-dumping duty on such imports.

2. And whereas, the applicant alleged that material injury is being caused to the domestic industry on account of the dumped imports of the product under consideration from the subject country, and requested for imposition of anti-dumping duty on the imports of the subject goods.

3. And whereas, in view of the duly substantiated application filed by the applicant, and on the basis of the prima facie evidence submitted by it substantiating dumping of the product under consideration from the subject country, injury to the domestic industry and a causal link between such dumping and injury, the Authority issued a public notice vide Initiation Notification No. 6/14/2026-DGTR dated 19th March, 2026, published in the Gazette of India Extraordinary, initiating the present anti-dumping investigation in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the AD Rules, to determine the existence, degree and effect

of the alleged dumping and to recommend the amount of anti-dumping duty, which, if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

B. PROCEDURE

4. The procedure, as described herein below, has been followed with regard to the present investigation:

B.1. Initiation

i. In accordance with Rule 5(5) of the Rules, prior to initiation of the investigation, the Authority notified the Government of the subject country, through its embassy in India, about the receipt of the present anti-dumping application.

ii. Upon examination of the application, the Authority found prima facie evidence of dumping of the product under consideration originating in or exported from the subject country, consequent injury to the domestic industry and a causal link between such dumping and injury. Therefore, in accordance with Rule 5 of the Rules, the Authority, vide Initiation Notification No. 6/14/2026-DGTR dated 19th March, 2026 (‘Initiation Notification’), published in the Gazette of India Extraordinary, initiated the present anti-dumping investigation concerning imports of the subject goods from the subject country.

iii. In accordance with Rule 6(2) of the Rules, the Authority informed the interested parties of the initiation of the investigation by sharing a copy of the Initiation Notification with the embassy of the subject country in India, the known producers and exporters of the product under consideration in the subject country, the known importers of the subject goods in India and other interested parties, as per the information made available in the application.

B.2. Circulation of non-confidential version of the application

i. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the government of the subject country, through its embassy in India, in accordance with Rule 6(3) of the Rules. A copy of the non-confidential version of the application was also provided to other interested parties, wherever requested.

B.3. Participation by exporters from the subject country and importers/users from India

i. In accordance with Rule 6(4) of the Rules, the Authority issued the Exporter’s Questionnaire to the following producers and exporters to seek information regarding the normal value and net export price for the purpose of the investigation:

SN	Names of producers/exporters in the subject country
1	Fujian Nanping Greenpine Chemical Company
2	Jiaxing Sunlong Industrial and Trading Co. Ltd.
3	Shandong Luckysky Chemical Co. Ltd.
4	Shanghai Luckysea Chemical Co. Ltd.
5	Tianmen Deyuan Chemical Tech Co. Ltd.
6	Qingdao Bo-Sin International Co. Ltd.

ii. None of the producers/exporters have participated in the present investigation by filing a response to the Exporter's Questionnaire. Further, no submissions have been filed by, or on behalf of, any producer/exporter from the subject country.

iii. The Authority sent the Importer's/User's Questionnaire to the following known importers/users of the subject goods in India, calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rules:

SN	Names of importers/users
1	Arihant Trading Company
2	Arpan Aromatics
3	Ashapura Aromas Pvt. Ltd.
4	Fragrance World
5	International Flavours and Fragrances India Pvt. Ltd.
6	Karnataka Aromas
7	K. Rasiklal Exim Pvt. Ltd.
8	Mane India Pvt. Ltd.
9	Mysore Deep Perfumery House
10	Oriental Aromatics Ltd.
11	P. P. Sheth Aromas Pvt. Ltd.
12	Rawji Fine Fragrances Pvt. Ltd.
13	Symrise Pvt. Ltd.
14	United Multichem LLP

iv. None of the importers/users have participated in the present investigation by filing a response to the questionnaire issued or by filing submissions.

v. The Authority issued an Economic Interest Questionnaire (EIQ) to assess public interest and the impact of the duties on the wider economy. A copy of the EIQ was issued to the Department of Chemicals & Petrochemicals, Ministry of Chemicals & Fertilizers, and to the known importers/users of the subject goods. No response has been received in this regard, other than from the domestic industry.

B.4. Period of Investigation and Injury Investigation Period

i. As noted in the Initiation Notification, the period of investigation ('POI') was considered as 1st October 2024 – 30th September 2025 (a period of 12 months). The injury investigation period was set to cover the periods 1st April 2022 – 31st March 2023, 1st April 2023 – 31st March 2024, 1st April 2024 – 31st March 2025 and the period of investigation.

ii. A request was made to the DGCI&S to procure the transaction-wise import data of the subject goods for the injury period and the period of investigation. The data was received and the same has been relied upon for the necessary analysis.

B.5. Further Procedure

i. The Authority sought comments on the scope of the product under consideration and on the PCN methodology within 15 days of the Initiation Notification and of the intimation letter dated 23rd March, 2026. Only the domestic industry filed comments in this regard and no comments were received from any producer/exporter, importer/user or other interested party on the scope of the product under consideration or on the PCN methodology.

ii. With a view to verify the standing of the applicant and its claim of being the sole producer of the like article in India, the Authority addressed communications to other possible producers of the subject goods in India, seeking information regarding their production, capacity, domestic sales and imports, if any, of the subject goods. No response was received from any such producer confirming manufacture of the subject goods.

iii. A list of all interested parties that registered themselves within the prescribed timeline was uploaded on the DGTR website / SETU portal. None of the importers/exporters/and users registered with the SETU platform.

iv. In accordance with Rule 7 of the Rules, information provided by the interested parties on a confidential basis was examined by the Authority with regard to the sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has provisionally accepted the confidentiality claims, wherever warranted, and such information has been treated as confidential and not disclosed to the other interested parties.

v. Non-confidential version of the submissions filed by the domestic industry were made available to all interested parties.

vi. The non-injurious price determined as per the optimum cost of production and cost to make & sell the subject goods in India, based on the information furnished by the domestic industry and having regard to Generally Accepted Accounting Principles and Annexure – III to the Rules. The Authority provisionally calculated the non-injurious price (NIP) for the product under consideration so as to ascertain whether duties lower than the dumping margin would be sufficient to remove the injury to the domestic industry.

vii. The Authority provisionally examined the issues raised, information provided and submissions made by the interested parties during the course of the proceedings, to the extent they were supported by evidence and considered relevant to the present investigation.

viii. '***' represents information furnished by a party on a confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.

ix. The exchange rate adopted by the Authority for the period of investigation is 1 US$ = ₹ 86.76, being the average of the exchange rates notified by the Central Board of Indirect Taxes and Customs under Section 14 of the Customs Act, 1962 for conversion of the value of imported goods, in force during the period of investigation. The same rate has been applied throughout this preliminary finding.
(Source: https://foservices.icegate.gov.in/#/services/viewExchangeRate)

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

C.1 Views of other interested parties

5. No submissions have been made by any other interested party concerning the scope of the product under consideration.

C.2 Views of the domestic industry

6. The following submissions have been made by the domestic industry concerning the scope of the PUC:

   a. The product under consideration is "1-(3,5,5,6,8,8-hexamethyl-6,7-dihydronaphthalen-2-yl) ethenone", having CAS numbers 21145-77-7 and 1506-02-1, and sold under various brand names including, but not limited to, Tonalide, Tonalid, Muscofix, Ganolid, Fixolide, AHTN, Musk AHMT, Ultramusk, Lanolid, Musk Tetralin, Dernalide, Methyl Nonyl Acetophenone, Kevolid, Tentarome and Tetralide.

   b. The chemical formula of the product is $C_{18}H_{26}O$ and its molecular weight is 258.40 g/mol. It is a synthetic polycyclic musk compound, chemically classified as a tetralin ketone.

   c. The product is used as a base note fixative and volume enhancer in fragrances. It is widely used in masculine fragrances (especially fougère), powdery-musked base blends, in layering with other polycyclic musks (PCMs) or nitromusks, and in functional perfumery such as fabric softeners, deodorants and soaps.

   d. The product is produced and sold on the basis of weight and is expressed in terms of Kilograms (KGs) / Metric Tonnes (MT).

   e. Since the product may be described by various brand names, a description limited to a brand name may result in possible evasion of duty by rebranding. Accordingly, the domestic industry, vide its letter dated 17th March, 2026, requested that the PUC be

described by its chemical name, CAS numbers, formula and molecular weight along with the illustrative brand names, so that the scope of the PUC is clear and the intended remedy is effective. The applicant clarified that the said clarification of description does not affect any of the data/information furnished in the application.

f. The subject goods are classified under Chapter 29 – ‘Organic Chemicals’ of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975, under tariff item 2914 3990. The customs classification is only indicative and not binding on the scope of the PUC. The Basic Customs Duty applicable on the subject goods is 7.5%.

g. No PCN methodology is required to be adopted in the present case as the product is not produced or traded in different grades, forms or specifications having significantly different costs and price.

C.3 Examination by the Authority

7. The product under consideration in the present investigation is “1-(3,5,5,6,8,8-hexamethyl-6,7-dihydronaphthalen-2-yl) ethenone”, having CAS numbers 21145-77-7 and 1506-02-1, and commonly sold under various brand names such as Tonalide, Tonalid, Muscofix, Ganolid, Fixolide, AHTN, Musk AHMT, Ultramusk, Lanolid, Musk Tetralin, Dernalide, Methyl Nonyl Acetophenone, Kevolid, Tentarome and Tetralide. It is a synthetic polycyclic musk compound (a tetralin ketone) having the chemical formula $C_{18}H_{26}O$ and a molecular weight of 258.40 g/mol, used as a base note fixative and volume enhancer in fragrances and functional perfumery.

8. The PUC is classified under Chapter 29 of Schedule I of the Customs Tariff Act titled ‘Organic Chemicals’ under tariff item 2914 3990. The customs classification is only indicative and is not binding on the scope of the product under consideration.

9. It is noted that no PCN methodology was proposed by the domestic industry in its application. Vide the Initiation Notification dated 19th March, 2026, and the intimation letter dated 23rd March, 2026, the Authority called for comments on the scope of the PUC and on the PCN methodology. Only the domestic industry filed comments, reiterating that since the product is not produced or sold in different grades/forms having significantly different costs and prices and no PCN methodology is warranted. No other interested party filed any comments proposing a PCN methodology or contesting the scope of the PUC. In view thereof, the Authority provisionally holds that no PCN methodology is required to be adopted at this stage of the present investigation.

10. In view of the above, the Authority provisionally holds that the product under consideration for the present investigation is the same as was defined in the Initiation Notification dated 19th March, 2026 and is as under:

"The product under consideration is 1-(3,5,5,6,8,8-hexamethyl-6,7-dihydronaphthalen-2-yl) ethenone, having CAS numbers of 21145-77-7 and 1506-02-1, and sold under various brand names including, but not limited to, Tonalide, Tonalid, Muscofix, Ganolid, Fixolide, AHTN, Musk AHMT, Ultramusk, Lanolid, Musk Tetralin, Dernalide, Methyl Nonyl Acetophenone, Kevolid, Tentarome, Tetralide. The chemical formula for the product is $C_{18}H_{26}O$. The molecular weight of the product is 258.40 g/mol. The product under consideration is a synthetic polycyclic musk compound, chemically classified as a tetralin ketone."

11. There are no known differences in the subject goods produced by the domestic industry and those imported from the subject country. The subject goods produced by the domestic industry and those imported from the subject country are comparable in terms of technical specifications, physical and chemical characteristics, manufacturing process and technology, functions and uses, pricing, and distribution and marketing. The two are technically and commercially substitutable and are used interchangeably. The consumers have used and are using the two interchangeably. The Authority, therefore, provisionally holds that the subject goods produced by the domestic industry are 'like article' to the imported subject goods within the meaning of Rule 2(d) of the AD Rules.

D. SCOPE OF THE DOMESTIC INDUSTRY & STANDING

D.1 Views of other interested parties

12. No submissions have been made by any other interested party concerning the scope and standing of the domestic industry.

D.2 Views of the domestic industry

13. The following submissions have been made by the domestic industry concerning its scope and standing:
    a. M/s Keva Fragrances Private Limited is the sole producer of the subject goods in India and accounts for 100% of the total Indian production of the like article.
    b. The applicant is not related to any exporter of the subject goods from the subject country or to any importer of the subject goods in India during the POI.
    c. The parent company of the applicant, M/s S.H. Kelkar and Company Limited, had acquired a producer of the subject goods in the subject country, namely M/s Anhui Ruibang Aroma Co. Limited, in 2018. However, the said company ceased manufacturing and selling operations in 2022, and since then the subject goods have

not been manufactured at its plant. Accordingly, during the POI, the applicant was not related to any exporter of the subject goods from the subject country.

d. The applicant did not import the subject goods from the subject country during the POI. Prior to the POI, it imported small quantities of the subject goods from non-subject countries, which were either re-imports of self-produced material or imports from related parties for clearance of inventories upon cessation of operations at the related plant. The applicant also purchased a small quantity of the subject goods from unrelated traders in India, out of which a small quantity was re-sold to its parent company during the POI.

D.3 Examination by the Authority

14. Rule 2(b) of the AD Rules defines 'domestic industry' as under:

> *"(b) 'domestic industry' means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term 'domestic industry' may be construed as referring to the rest of the producers."*

15. The Authority provisionally notes that the application has been filed by M/s Keva Fragrances Private Limited, which has claimed to be the sole producer of the subject goods in India, accounting for 100% of the total domestic production of the like article.

16. The applicant has submitted that it was not related to an exporter of subject goods from the subject country, or an importer of subject goods during the period of investigation. It is noted that the parent company of the applicant, S.H. Kelkar and Company Limited acquired a producer of the subject goods in the subject country, namely Anhui Ruibang Aroma Co. Limited. However, the company has ceased manufacturing and selling operations soon thereafter, and prior to the POI. Since then, the subject goods have not been manufactured at the plant of the related party. Thus, during the period of investigation, the applicant was not related to an exporter of subject goods from the subject country.

17. The applicant has claimed that it has not imported the subject goods from the subject country during the period of investigation. The applicant has submitted that it imported the subject goods prior to the period of investigation from its related party in the subject country as well as non-subject country for the limited purpose of stock clearance as the plant was shut down.

Further, the applicant also re-imported certain rejected material from a non-subject country prior to the period of investigation.

18. Additionally, the applicant has also clarified that it purchased *** MT of the subject goods from unrelated traders in India during the period of investigation. The goods purchased were required for supply to its parent company which also uses the subject goods for its fragrance production plant. Out of the total material purchased, *** MT was transferred to the parent company prior to the period of investigation, while *** MT was transferred during the period of investigation. The remaining *** MT was re-sold in the domestic market prior to the period of investigation.

19. It is noted that during the period of investigation, the applicant has re-sold *** MT of the purchased product to its parent company. Such re-sale volume is in very small volumes, and was only 0-5% in relation to the total demand in the country, and 0-5% in relation to the total production in the country.

Particulars	POI
Volume of purchase (MT)	***
Demand in India	***
Production in India	***
Subject imports	233
Imports in relation to demand	0-5%
Imports in relation to production	0-5%

20. In view of the above, the Authority provisionally holds that the production of the applicant accounts for 100% of the total Indian production and constitutes a major proportion of the total domestic production of the like article. Accordingly, the applicant constitutes 'domestic industry' within the meaning of Rule 2(b) of the AD Rules, and the application satisfies the requirement of standing in terms of Rule 5(3) of the AD Rules.

E. CONFIDENTIALITY

E.1 Views of the other interested parties

21. No submissions have been made by any other interested party concerning confidentiality.

E.2 Views of the domestic industry

22. The domestic industry has submitted that it has provided a meaningful non-confidential version of its application and other submissions, with confidential information duly indexed

or summarised in terms of Rule 7 of the AD Rules and the applicable trade notices of the Authority, and that the information claimed confidential is business-sensitive in nature, not available in the public domain, and its disclosure would cause serious prejudice to the interests of the applicant.

E.3 Examination by the Authority

23. With regard to confidentiality of information, Rule 7 of the AD Rules provides as under:

> *"(1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule (2) of rule 12, sub-rule (4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.*
> *(2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible.*
> *(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information."*

24. The information provided by the domestic industry on a confidential basis was examined with regard to the sufficiency of the confidentiality claim. The Authority is provisionally satisfied that the confidentiality claims are, prima facie, in respect of business-sensitive information the disclosure of which is likely to cause serious prejudice to the party providing it, or is confidential by nature. On being so satisfied, the Authority has provisionally accepted the confidentiality claims, wherever warranted, and such information has been kept confidential and not disclosed to the other interested parties.

F. NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING MARGIN

F.1 Views of the other interested parties

25. No submissions have been made by any other interested party, and no producer/exporter from the subject country has responded or claimed market economy treatment, concerning the determination of normal value, export price and dumping margin.

F.2 Views of the domestic industry

26. The following submissions have been made by the domestic industry concerning normal value, export price and dumping margin:
    a. The subject country should be treated as a non-market economy and the producers/exporters from the subject country should be called upon to demonstrate that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of the product under consideration.
    b. Unless the producers of the subject country so demonstrate, their normal value should be determined in accordance with Para 7 of Annexure-I to the AD Rules.
    c. In the absence of information regarding cost or price in a third country, the normal value should be determined based on price payable in India.
    d. Under Para 7 of Annexure-I, the normal value for a non-market economy shall be determined on the basis of the price or constructed value in a market economy third country, or the price from such third country to other countries including India, or, where it is not possible, on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted to include a reasonable profit margin.
    e. The domestic industry attempted to obtain the prevailing prices of the subject goods in an appropriate market economy third country, as well as the price of exports of the subject goods from such third country to other countries. However, in the absence of a dedicated tariff line for the subject goods, it was not able to find any credible source of such information. Accordingly, the normal value for China PR may be determined on the basis of the price payable in India, i.e., the cost of production in India duly adjusted for selling, general and administrative expenses, together with a reasonable profit.
    f. The export price should be determined on the basis of the CIF price of the subject goods as reported in the DGCI&S transaction-wise data, duly adjusted for ocean freight, marine insurance, commission, bank charges, port expenses and credit cost to arrive at the ex-factory export price.

F.3 Examination by the Authority

27. Under Section 9A(1)(c) of the Act, the 'normal value' in relation to an article means the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when meant for consumption in the exporting country or territory; or, when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of sales such sales do not permit a proper comparison, either the comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory to an appropriate third country, or the cost of production of the said article in the country of origin along with a reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits.

28. The Authority provisionally notes that none of the producers/exporters of the subject goods from the subject country have filed an Exporter's Questionnaire response or otherwise cooperated in the present investigation. Accordingly, the normal value and export price for the producers/exporters from the subject country have been determined on the basis of the facts available, in terms of Rule 6(8) of the AD Rules.

F.3.1 Determination of Normal Value

29. For the purpose of this investigation, the subject country has been treated as a non-market economy country. In terms of Article 15 of China's Accession Protocol to the WTO and the provisions of Paragraphs 7 and 8 of Annexure-I to the AD Rules, the producers/exporters from the subject country were required to demonstrate, in response to the market economy treatment questionnaire, that market economy conditions prevail in the industry producing the like product. Since none of the producers/exporters from the subject country have responded or claimed market economy treatment, the normal value is required to be determined in accordance with Paragraph 7 of Annexure-I to the AD Rules, which reads as under:

> *"7. In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in a market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India, or where it is not possible, on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the designated authority in a reasonable manner…"*

30. The Authority notes that none of the interested parties have provided any information with regard to the domestic price, constructed value or export price of the product in an appropriate market economy third country. Since neither the domestic industry nor any other

interested party has provided any verifiable information in this regard, the normal value could not be determined on that basis.

31. Accordingly, the Authority has provisionally determined the normal value for the subject country on the basis of the price payable in India for the like article, in terms of Paragraph 7 of Annexure-I to the AD Rules. The normal value has been constructed on the basis of the cost of production of the subject goods in India, duly adjusted for selling, general and administrative expenses, together with a reasonable profit. The normal value so determined is shown in the dumping margin table below.

F.3.2 Determination of Export Price

32. Since none of the producers/exporters from the subject country have filed a questionnaire response, the export price has been determined on the basis of the facts available, in terms of Rule 6(8) of the AD Rules. The export price has been determined by considering the CIF price of the subject goods imported from the subject country, as reported in the DGCI&S transaction-wise import data. Adjustments have been made on account of ocean freight, marine insurance, commission, bank charges, port expenses and credit cost, so as to arrive at the ex-factory (net) export price. The net export price so determined is shown in the dumping margin table below.

F.3.3 Dumping Margin

33. On the basis of the normal value and the export price determined as above, at the ex-factory level and pertaining to the same period, the dumping margin for the subject goods from the subject country has been provisionally determined as under. It is seen that the dumping margin is not only positive, but also significant and above the de minimis level.

Particular	**Normal* Value**	**Export Price**	**Dumping Margin**	**Dumping Margin**	**Dumping Margin**
	(USD/MT)	**(USD/MT)**	**(USD/MT)**	**%**	**Range**
Any producer from the subject country	***	***	***	***	30-40

G. ASSESSMENT OF INJURY AND CAUSAL LINK

G.1 Views of the other interested parties

34. No submissions have been made by any other interested party with regard to injury and causal link.

G.2 Views of the domestic industry

35. The following submissions, in brief, have been made by the domestic industry with regard to injury and causal link:
    a. The volume of subject imports increased significantly over the injury period, both in absolute terms and in relation to production and consumption in India.
    b. Despite there being no demand-supply gap and despite the fact that the domestic industry had sufficient capacity to cater to the entire Indian demand, the volume of imports increased over the period.
    c. While the demand increased by 231% over the injury period, the subject imports increased by 426%, i.e., at a rate much higher than the increase in demand.
    d. The subject imports were undercutting the prices of the domestic industry and had a suppressing/depressing effect on the prices of the domestic industry, forcing it to sell below its cost of production.
    e. The market share of the domestic industry declined over the injury period while that of the subject imports increased, despite the domestic industry having significant idle capacity.
    f. The domestic industry suffered significant financial losses and cash losses throughout the injury period, which intensified in the POI.
    g. Considering the current prices, the domestic industry is not even in a position to break even and would have to sell more than its current capacity to break even.
    h. The domestic industry earned negative returns on capital employed.
    i. The subject imports have impacted the ability of the domestic industry to raise capital investments.
    j. The domestic industry held significant inventories due to the presence of the dumped imports in the market.
    k. Domestic industry continued to utilize half of its capacities, despite securing consistent supply of raw material and sufficient capacity to cater to the demand.
    l. Injury to the domestic industry has been caused by the dumped imports from the subject country.
    m. No other factor has caused injury to the domestic industry, and such injury is attributable only to the subject imports.

G.3 Examination by the Authority

36. Rule 11 of the AD Rules read with Annexure-II thereto provides that the injury determination shall involve an examination of the factors that may indicate injury to the domestic industry, taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles, and the consequent effect of such imports

on the domestic producers of such articles. In considering the effect of the dumped imports on prices, it is examined whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry, the Authority has considered all the relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, in accordance with Annexure-II to the AD Rules.

37. The Authority has examined the arguments made with regard to injury to the domestic industry. The analysis made by the Authority hereunder addresses the various submissions made during the course of the investigation.

G.3.1 Volume effect of the dumped imports

a. <u>Assessment of demand / apparent consumption</u>

38. For the purpose of the present investigation, the demand or apparent consumption of the subject goods in India has been assessed as the sum of the domestic sales of the domestic industry and the imports from all sources. The demand so assessed is given in the table below.

Assessment of Demand

Particulars	Unit	2022-23	2023-24	2024-25	POI
Excluding captive consumption					
Domestic industry	MT-trend	100	108	199	237
Imports from subject country	MT	55	131	320	233
Other imports	MT	-	9	-	-
Total demand (excl. captive)	MT-trend	100	147	300	287
Including captive consumption					
Domestic industry	MT-trend	100	108	199	237
Captive consumption	MT-trend	100	20	6	81
Imports from subject country	MT	55	131	320	233
Other imports	MT	-	9	-	-
Total demand (incl. captive)	MT-trend	100	112	220	231

39. It is seen that the demand for the subject goods (including captive consumption) increased consistently over the injury period and was the highest during the POI, having increased from *** MT in the base year to *** MT in the POI. Demand excluding captive consumption also increased significantly over the injury period.

b. Import volumes in absolute and relative terms

40. With regard to the volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in the dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. For the purpose of the injury analysis, the Authority has relied upon the DGCI&S import data. The volumes of the subject imports over the injury period are given below.

Imports in Absolute and Relative Terms

Particulars	**Unit**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**	**POI**
Subject imports	MT	55	131	320	233
Other imports	MT	-	9	-	-
Total imports	MT	55	140	320	233
Imports in relation to —					
Indian production	%	***	***	***	***
Trend		*100*	*272*	*340*	*203*
Indian consumption (Excl. Captive)	%	***	***	***	***
Trend		*100*	*163*	*195*	*149*
Total imports	%	100	94	100	100
Trend		*100*	*94*	*100*	*100*

Growth of Imports vis-à-vis Demand

Particulars	**Unit**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**	**POI**
Subject imports	MT	55	131	320	233
Trend	*Indexed*	*100*	*239*	*584*	*426*
Demand	MT	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*112*	*220*	*231*

41. From the above, the Authority provisionally notes that the subject imports increased significantly over the injury period, from 55 MT in the base year to 320 MT in 2024-25, before moderating to 233 MT in the POI. The subject imports account for almost the entirety of the imports of the subject goods into India. The subject imports also increased significantly in relation to production and consumption in India. Notably, over the injury period, while the demand increased to 231 index points, the subject imports increased to 426

index points, i.e., at a rate much higher than the increase in demand, despite the absence of any demand-supply gap in the country.

G.3.2 Price effect of the dumped imports

42. In terms of Annexure-II(ii) of the AD Rules, with regard to the effect of the dumped imports on prices, the Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree, or prevent price increases which otherwise would have occurred, to a significant degree.

a. Price undercutting

43. In order to determine whether the subject imports are undercutting the prices of the domestic industry, the landed price of the subject imports has been compared with the net selling price of the domestic industry during the POI. The price undercutting so determined is provided below.

Price Undercutting

Particulars	Unit	Value
Import volume	MT	233
Landed price	₹/MT	10,44,174
Net selling price of DI	₹/MT	***
Price undercutting	₹/MT	***
Price undercutting	%	***
Price undercutting range	%	0-10

44. It is noted that, during the POI, the landed price of the subject imports was below the net selling price of the domestic industry and the subject imports were undercutting the prices of the domestic industry. The domestic industry has submitted that it was compelled to reduce its prices significantly in the POI in an effort to retain its market share; despite such reduction, the price undercutting remained positive.

b. Price suppression / depression

45. For the purpose of examining price suppression and depression, the Authority has compared the cost of sales and the net sales realisation of the domestic industry with the landed value of the subject imports over the injury period, as under. The applicant has submitted during 2022-23, the price of major raw materials was significantly distorted owing to disruption in supply-chain and fluctuation in crude prices. Also, due to limited supply of raw material, the plant of the applicant was underutilized, resulting in very high fixed costs. In view of such unforeseen circumstances and to segregate the impact of such circumstances, the applicant

has adjusted the cost for 2022-23 by normating the conversion cost considering the highest utilization over the injury period. The same has been considered for the present purpose.

Price Suppression / Depression

Particulars	Unit	2022-23	2023-24	2024-25	POI
Cost of sales	₹/MT	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*99*	*90*	*95*
Net sales realisation	₹/MT	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*106*	*102*	*95*
Landed price of imports	₹/MT	11,13,494	11,35,179	10,58,702	10,44,174
Trend	*Indexed*	*100*	*102*	*95*	*94*

46. From the above, the Authority provisionally notes that the landed price of the subject imports declined over the injury period and remained below the cost of sales of the domestic industry throughout the injury period. Faced with low-priced imports, the domestic industry was constrained to reduce/maintain its net sales realisation even as it was already selling below its cost of sales and could not raise its prices to recover its costs. In 2023-24, the cost of the domestic industry declined marginally. However, as the landed price also increased marginally, the domestic industry increased its price. In 2024-25, the cost of the domestic industry declined further. The selling price of the domestic industry also declined in line with the decline landed price. In the POI, even as the cost of sales increased, the domestic industry reduced its net sales realisation significantly in the face of declining import prices and increasing imports. The subject imports have thus had a depressing effect on the prices of the domestic industry in the market.

G.3.3 Economic parameters of the domestic industry

47. Annexure-II to the AD Rules requires that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry. The various injury parameters relating to the domestic industry are examined below.

a. Production, capacity, capacity utilisation and sales

48. The performance of the domestic industry with regard to capacity, production, sales and capacity utilization over the injury period was as below.

Production, Capacity, Capacity Utilisation and Sales

Particulars	**Unit**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**	**POI**
Installed capacity	MT	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*100*	*100*	*100*
Production (PUC)	MT	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*88*	*172*	*209*
Capacity utilisation	%	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*88*	*172*	*209*
Domestic sales	MT	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*108*	*199*	*237*
Export sales	MT	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*68*	*137*	*125*

49. The Authority provisionally notes that the installed capacity of the domestic industry remained stable over the injury period. While the production, capacity utilisation and domestic sales of the domestic industry increased over the injury period, in line with the increase in demand, a significant portion of the capacity of the domestic industry (about 47% in the POI) remained unutilised despite there being sufficient demand and no demand-supply gap in the country.

b. <u>Market share</u>

50. The Authority has provisionally examined the effect of the dumped imports on the market share of the domestic industry, and imports from subject country and other countries as under.

Market Share (in demand excluding captive)

Particulars	**Unit**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**	**POI**
Domestic industry	%	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*74*	*66*	*83*
Subject imports	%	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*74*	*66*	*83*
Other imports	%	-	3	-	-
Trend	*Indexed*		100		

51. The Authority provisionally notes that the market share of the domestic industry declined from 74% in the base year to 49% in 2024-25, whereas the market share of the subject imports increased from 26% to 51% over the same period. Although the domestic industry was able to partially recover its market share in the POI, it could do so only by reducing its prices significantly and selling below its cost of sales, thereby suffering increased losses. When seen over the injury period, the market share of the subject imports increased while

that of the domestic industry declined, despite the domestic industry having significant idle capacity and no other constraints in producing and selling the product.

c. Inventories

52. The inventories with the domestic industry over the injury period are given in the table below.

Inventories

Particulars	Unit	2022-23	2023-24	2024-25	POI
Opening inventory	MT	***	***	***	***
Closing inventory	MT	***	***	***	***
Average inventory	MT	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*21*	*111*	*200*

53. The Authority provisionally notes that the average inventories of the domestic industry increased significantly over the injury period, as the subject imports took away the market of the domestic industry.

d. Profitability, cash profits and return on capital employed

54. The performance of the domestic industry has been examined in respect of profits, cash profits, and return on investment.

Profitability Parameters

Particulars	Unit	2022-23	2023-24	2024-25	POI
Cost of sales	₹/MT	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*99*	*90*	*95*
Net sales realization	₹/MT	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*106*	*102*	*95*
Profit / (loss)	₹/MT	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*(100)*	*(77)*	*(50)*	*(94)*
Profit / (loss)	₹ Lacs	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*(100)*	*(83)*	*(99)*	*(222)*
Cash profit / (loss)	₹ Lacs	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*(100)*	*(56)*	*(67)*	*(206)*
Return on capital employed	%	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*(100)*	*(75)*	*(81)*	*(155)*

55. The Authority provisionally notes that the domestic industry suffered financial losses throughout the injury period, which intensified in the POI. The domestic industry was selling below its cost of sales throughout the injury period in order to compete with the low-priced

dumped imports. Despite the increase in production and sales volumes, the losses of the domestic industry increased over the injury period. The cash losses of the domestic industry also increased significantly; and the domestic industry earned negative returns on capital employed throughout the injury period, the extent of which deteriorated in the POI.

e. Employment, wages and productivity

56. Employment, wages and productivity of the domestic industry over the injury period is given in the table below:

Employment, Wages and Productivity

Particulars	Unit	2022-23	2023-24	2024-25	POI
Number of employees	Nos.	***	***	***	***
Trend		*100*	*91*	*113*	*120*
Salaries and wages	₹ Lacs	***	***	***	***
Trend		*100*	*87*	*137*	*159*
Productivity per day	MT	***	***	***	***
Trend		*100*	*88*	*172*	*209*
Productivity per employee	MT	***	***	***	***
Trend		*100*	*96*	*152*	*175*

57. The Authority provisionally notes that the number of employees and the wages paid by the domestic industry increased over the injury period, and the productivity also increased with the increase in production. The domestic industry has not claimed injury on this account.

f. Growth

58. The Authority provisionally notes that although the volume parameters (production and domestic sales) of the domestic industry increased over the injury period, the price and profitability parameters of the domestic industry witnessed a significant decline. The domestic industry was selling below its cost of sales in order to compete with the low landed price of the subject imports, resulting in significant losses, cash losses and negative returns on capital employed. Thus, the growth of the domestic industry in terms of its price and profitability parameters was negative.

g. Ability to raise capital investment

59. The domestic industry has suffered losses, cash losses and negative returns on capital employed throughout the injury period. The domestic industry has submitted that it is not in a position to service its debt obligations and that no new investment is viable at the prevailing prices. The Authority provisionally notes that the subject imports have adversely impacted the ability of the domestic industry to raise capital investment for the subject goods.

h. Magnitude of dumping

60. The Authority provisionally notes that there is significant dumping of the subject goods from the subject country, the dumping margin being positive and above the de minimis level, as determined in Section G above.

G.3.4 Conclusion

61. Based on the above, the following is provisionally noted –
    a. The demand for the subject goods has increased over the period.
    b. While the volume of imports has declined in the period of investigation, the volume of subject imports has increased in absolute terms and in relation of Indian production and consumption when seen over the injury period.
    c. The imports have increased despite absence of demand-supply gap, and at rate higher than increase in demand.
    d. While the market share of the domestic industry has declined over the injury period, the market share of the subject imports has increased.
    e. The subject imports were undercutting the prices of the domestic industry
    f. The subject imports have depressed the prices of the domestic industry.
    g. Despite increasing its production and supply, the domestic industry has faced underutilized capacities.
    h. The inventories of the domestic industry have piled up due to loss of market share.
    i. The domestic industry has faced significant losses and cash losses
    j. The domestic industry recorded negative returns on its capital employed.
    k. The imports have adversely impacted the ability of the domestic industry to raise capital investments. The dumping margin for the subject country is positive and significant.

62. In view of the foregoing, the Authority provisionally concludes that the domestic industry has suffered material injury.

G.3.5 Non-attribution analysis

63. The Authority has provisionally examined whether known factors other than the dumped imports could have caused injury to the domestic industry, so that any injury caused by such other factors is not attributed to the dumped imports.
    a. Volume and value of imports from third countries — The subject imports constitute almost the entirety of the imports of the subject goods into India. Imports from third countries are negligible and could not have caused injury to the domestic industry.
    b. Contraction in demand — The demand for the subject goods increased over the injury period and was the highest in the POI. Therefore, injury to the domestic industry cannot be attributed to any contraction in demand.

c. Changes in the pattern of consumption — There has been no material change in the pattern of consumption of the subject goods that could have caused injury to the domestic industry.

d. Conditions of competition and trade restrictive practices — There is no evidence of any conditions of competition or trade restrictive practices that could have caused injury to the domestic industry.

e. Developments in technology — There has been no change in the technology of production of the subject goods that could have caused injury to the domestic industry.

f. Export performance of the domestic industry — The injury information examined above relates only to the domestic operations of the domestic industry, which have been segregated from its export operations. Therefore, the injury suffered cannot be attributed to the export performance of the domestic industry.

g. Productivity — The productivity of the domestic industry increased over the injury period and, therefore, could not have caused injury to the domestic industry.

G.3.6 Factors establishing causal link

64. While the other known factors listed under the AD Rules have not caused injury to the domestic industry, the Authority provisionally notes that the following parameters provisionally establish that the injury to the domestic industry has been caused by the dumped imports:

a. There is significant dumping of the subject goods from the subject country.

b. The volume of the subject imports increased significantly over the injury period, in both absolute and relative terms, despite significant idle capacity in the domestic industry and no demand-supply gap in the country.

c. As a result, the market share of the domestic industry declined while that of the subject imports increased over the injury period.

d. The subject imports significantly undercut the prices of the domestic industry and had a suppressing and depressing effect on such prices, forcing the domestic industry to sell below its cost of sales.

e. As a result, the domestic industry suffered significant financial losses and cash losses, and earned negative returns on capital employed.

f. Even as its production and sales increased, the capacities of the domestic industry were underutilized and its inventories accumulated significantly.

65. The Authority, in view of the aforementioned, provisionally concludes that there exists a causal link between the dumping of the subject goods from the subject country and the material injury suffered by the domestic industry.

G.3.7 Magnitude of Injury Margin

66. The Authority has determined the non-injurious price (NIP) for the domestic industry on the basis of the principles laid down in the AD Rules read with Annexure-III thereto, as amended. The NIP of the product under consideration has been determined by adopting the information/data relating to the cost of production furnished by the domestic industry. For determining the NIP, the best utilisation of raw materials and utilities over the injury period has been considered, and the best capacity utilisation over the injury period has been adopted; extraordinary and non-recurring expenses have been excluded from the cost of production; and a reasonable return (pre-tax at 22%) on the average capital employed (i.e., average net fixed assets plus average working capital) for the product under consideration has been allowed as pre-tax profit, so as to arrive at the NIP as prescribed under Annexure-III to the AD Rules.

67. Based on the landed price and the NIP determined as above, the injury margin for the subject goods from the subject country, as provisionally determined by the Authority, is provided in the table below. It is seen that the injury margin is positive and significant.

Particular	**NIP***	**Landed price**	**Injury Margin**	**Injury Margin**	**Injury Margin**
	(USD/MT)	**(USD/MT)**	**(USD/MT)**	**%**	**Range**
Any producer from subject country	***	***	***	***	30-40

H. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST & OTHER ISSUES

H.1 Views of the other interested parties

68. No submissions have been made by any other interested party, and no importer/user has participated in the present investigation, on the aspect of Indian industry's interest or the economic impact of the anti-dumping duty.

H.2 Views of the domestic industry

69. The domestic industry has submitted the following –

    a. Applicant is the sole producer of product under consideration in the country and is the flag bearer of Aatmanirbhar Bharat.

b. Imposition of duties is required to protect the viability of the domestic industry
c. Imposition of duties is required to ensure fair competition and contribute into forex reserves
d. Imposition of duties will not result in shortage of supply of subject goods as users can procure from domestic industry and from subject country at fair prices.
e. Non-imposition of duties would make the users dependent on exports who would become vulnerable to exploitation by exporters.
f. Initially, the supply of raw materials was regularly disrupted as the suppliers from the subject country defaulted on contracts, to meet their domestic demand and to artificially inflate prices. As a result, the applicant made attempts to indigenize the production of both raw materials to ensure continuous and uninterrupted supply of products.
g. The applicant has been successful in helping establish the upstream industry for 2,3 Dimethyl-1-Butene and Paracymene in India, which earlier did not exist.
h. Imposition of duties is essential to protect the viability of facilities set up to produce upstream products (2,3 Dimethyl-1-Butene (DMB-1)) and Paracymene (p-cymene) as their production is directly dependent on the performance of the subject goods.
i. The total employment generated by the domestic industry as well as the upstream industry would be in jeopardy if duties are not imposed.
j. The applicant has sufficient capacity to cater to the entire demand in the country, and thus, subject imports are entirely unnecessary in absence of any demand supply gap.
k. The product under consideration is not a major raw material or input for the ultimate end-products.
l. It is used in very small quantities for manufacturing fragrances, which are in turn used in very small quantities in manufacturing various end products.
m. Since the subject goods account for a minuscule share in the total costs of the end-products, any increase in the price due to the imposition of anti-dumping duties would have a negligible impact on the end-product.
n. Imposition of duties would not result in any significant increase in the costs for the downstream users.

H.3 Examination by the Authority

70. The Authority notes that the primary objective of anti-dumping duties is to rectify the injury inflicted upon the domestic industry by the unfair trade practices of dumping, thereby fostering an environment of open and equitable competition in the Indian market. The imposition of anti-dumping measures is not designed to curtail imports from the subject country arbitrarily. Rather, it is a mechanism to ensure a level playing field. The Authority acknowledges that the persistence of anti-dumping duties may influence the price levels of the product in India. However, it is crucial to note that the essence of fair competition in the

Indian market will remain unscathed by the imposition of these measures. Far from diminishing competition, the imposition of anti-dumping measures serves to prevent the accrual of unfair advantages through dumping practices. It safeguards the consumers' access to a broad selection of the subject goods. Thus, anti-dumping duties are not a hindrance but a facilitator of fair-trade practices.

71. The Authority issued the initiation notification, inviting views from all interested parties including importers, users and consumers. An Economic Interest Questionnaire was also prescribed to allow various stakeholders, including the domestic industry, producers/exporters and importers/users/consumers to provide relevant information concerning the present investigation, including the possible effect of anti-dumping duty on their operations. The Authority notes that none of the importers/users have participated in the present investigation or furnished any information on the economic impact of the proposed anti-dumping duty.

72. The domestic industry has claimed that the imposition of duties would not have any significant impact on the ultimate downstream consumers. As per information available on record, it is noted that the product under consideration is used in very small quantities for manufacturing fragrances, which are further used in small quantities for manufacturing end-products such as perfumes, soaps, detergents, incense sticks, fabric softeners etc. The applicant submitted that the subject goods account for 3% of the total cost of fragrances used for perfume or deodorant. In turn, the fragrance accounts for only 4% of the total cost of manufacturing perfumes or deodorant. Similarly, subject goods account for only 7% of the total cost for manufacturing fragrances for soap, which in turn accounts for only 1.2% in the cost of a soap. In view of the negligible share of the subject goods used in the end-product, it is noted that imposition of anti-dumping duties would have minimal impact on the costs of the end-consumers, which would not be more than 50 paise for various end products.

SN	Application	Unit	Formula	Soap	Detergent	Shampoo	Fabric Softener	Deodorant	Perfume
1	Proportion of Fragrance in downstream products	%	A	1.20%	0.20%	0.80%	2%	4%	4%
2	Share of PUC in fragrance of end-products	%	B	7%	7%	6%	6%	3%	3%
3	Market price of end-products	₹/Kg	D	344	2,380	2,170	374	900	11,040
4	Landed price of PUC	₹/Kg	E	1,044	1,044	1,044	1,044	1,044	1,044

5	PUC in downstream products without ADD	₹/Kg	F=E*A*B	0.877	0.146	0.501	1.253	1.253	1.253
6	Proposed duty	₹/Kg	G=E*40%	418	418	418	418	418	418
7	Increase in cost of PUC in end-product	₹/Kg	H=G*A*B	0.35	0.06	0.20	0.50	0.50	0.50
8	**Impact % of duties on end-product**	**%**	**I=H/D**	**0.10%**	**0.002%**	**0.01%**	**0.13%**	**0.06%**	**0.005%**

73. It is noted that there is no demand-supply gap in the country necessitating dumped imports into the country. The Authority notes that the Indian industry has significant capacities as claimed by the domestic industry which are sufficient to meet the entire present and foreseeable demand in the country.

I. PROVISIONAL CONCLUSIONS AND RECOMMENDATION

74. The present preliminary findings are recorded by the Authority in terms of Rule 12 of the AD Rules, which requires the Authority to proceed expeditiously with the conduct of the investigation and, in appropriate cases, to record a preliminary finding regarding the export price, normal value and margin of dumping, together with a further finding regarding injury to the domestic industry, containing sufficient details of the matters of fact and law on which such findings rest, and to issue a public notice recording the same. The recommendation for the imposition of provisional anti-dumping duty contained herein is made in terms of Rule 13 of the AD Rules read with Section 9A(2) of the Act. Based on the submissions made, the information provided and the facts available before the Authority, and on the basis of the above analysis of dumping and the consequent injury to the domestic industry, the Authority provisionally concludes as under:

a. The application has been filed by Keva Fragrances Private Limited, which is the sole producer of the subject goods in India, accounts for 100% of the total Indian production, and thus constitutes domestic industry in terms of Rule 2(b) of the AD Rules. Further, the application satisfies the requirement of standing in terms of Rule 5(3) of the AD Rules.

b. The product under consideration is "1-(3,5,5,6,8,8-hexamethyl-6,7-dihydronaphthalen-2-yl) ethenone", and the subject goods produced by the domestic industry are a like article to the imported subject goods.

c. No comments were received from any producer/exporter, importer/user or other interested party on the scope of the PUC, nor was any PCN methodology proposed. Accordingly, no PCN methodology has been adopted at this stage.

d. None of the producers/exporters from the subject country responded to the investigation or claimed market economy treatment. Accordingly, in terms of Article 15 of China's Accession Protocol and Paragraph 7 of Annexure-I to the AD Rules, the normal value has been determined on the basis of the price payable in India, and the export price has been determined on the basis of the facts available in terms of Rule 6(8) of the AD Rules.

e. Considering the normal value and the export price so determined, the dumping margin for the subject goods from the subject country is positive, significant and above the de minimis level.

f. The subject imports increased significantly over the injury period, in both absolute and relative terms, despite the absence of any demand-supply gap and despite significant idle capacity with the domestic industry.

g. The subject imports undercut the prices of the domestic industry and had a depressing effect on such prices.

h. Despite an increase in production and sales, a significant portion of the capacity of the domestic industry remained idle and its inventories accumulated.

i. The domestic industry suffered significant financial losses, cash losses and negative returns on capital employed. In particular, the domestic industry incurred cash losses in every year of the injury period, which more than doubled from ₹*** in 2022-23 to ₹***in the POI.

j. The imports have adversely impacted the ability of the domestic industry to raise further capital investments.

k. No other known factor has caused injury to the domestic industry; the material injury to the domestic industry has been caused by the dumped imports of the subject goods from the subject country.

l. The imposition of anti-dumping duty is in the interest of the public and would have no adverse impact on the interests of public at large.

m. Imposition of duties would not increase the cost of end-consumers significantly.

n. The subject goods are used to make fragrances in very small quantities, which are in turn used in manufacturing various downstream products, also in small quantities.

o. The subject goods do not constitute a major cost for the end-users.

p. There is no demand supply gap in the country, and the Indian industry has sufficient capacities to cater to the entire demand.

75. The Authority notes that the investigation was duly initiated and all interested parties were notified and given adequate opportunity to furnish positive information on the aspects of dumping, injury and causal link. Having initiated and conducted the investigation into

dumping, injury and causal link in terms of the AD Rules, , and having recorded the present preliminary findings in terms of Rule 12 thereof, the Authority is of the view that the imposition of provisional anti-dumping duty is required to offset dumping and injury, pending completion of the investigation. Therefore, the Authority considers it necessary and recommends the imposition of provisional anti-dumping duty in terms of Rule 13 of the AD Rules read with Section 9A(2) of the Act on imports on imports of the subject goods from the subject country.

76. Having regard to the lesser duty rule, the Authority recommends imposition of provisional anti-dumping duty equal to the lesser of the margin of dumping and the margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, the Authority recommends imposition of provisional anti-dumping duty on the imports of the subject goods originating in or exported from the subject country, equal to the amount specified in Column (7) of the duty table below, for a period as may be notified by the Central Government. The landed value of imports for this purpose shall be the assessable value as determined by the Customs under the Customs Act, 1962 and the applicable level of customs duties, except duties levied under Sections 3, 3A, 8B, 9 and 9A of the Customs Tariff Act, 1975.

Duty Table

S. No.	**Tariff Heading/ Subheading**	**Description of Goods**	**Country of Origin**	**Country of Export**	**Producer**	**Duty Amount**	**Currency**	**Unit**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	2914 3990	1-(3,5,5,6,8,8-hexamethyl-6,7-dihydronaphthalen-2-yl) ethenone*	China PR	Any country including China PR	Any	3,967	USD	MT
2	- do -	- do -	Any country other than China PR	China PR	Any	3,967	USD	MT

**The product under consideration is as described in 1-(3,5,5,6,8,8-hexamethyl-6,7-dihydronaphthalen-2-yl) ethenone, having CAS numbers of 21145-77-7 and 1506-02-1, and sold under various brand names including, but not limited to, Tonalide, Tonalid, Muscofix, Ganolid, Fixolide, AHTN, Musk AHMT, Ultramusk, Lanolid, Musk Tetralin, Dernalide, Methyl Nonyl Acetophenone, Kevolid, Tentarome, Tetralide. The chemical formula for the product is* $C_{18}H_{26}O$.

J. FURTHER PROCEDURE

77. The following procedure would be followed subsequent to the notification of these preliminary findings:

    a. The Authority invites comments on these provisional findings from all interested parties within 30 days from the publication of these findings, and the same, to the extent considered relevant, would be considered in the final findings.
    b. The Authority would conduct an oral hearing in terms of Rule 6(6) of the AD Rules to provide an opportunity to the interested parties to present their views relevant to the subject investigation. The date of the oral hearing would be published on the DGTR website (www.dgtr.gov.in).
    c. The Authority would conduct further verification of the information furnished by the interested parties, to the extent deemed necessary.
    d. The Authority would disclose the essential facts, as per the AD Rules, before issuing the final findings in the subject investigation.

AMITABH KUMAR, Designated Authority

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA